CHAPTER- 13 OFFENCES RELATED TO PUBLIC SERVANTS

मॉड्यूल के अंतिम 1.7 दिनों के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ (प्रैक्टिकल हैंड्स–ऑन सेशन्स)

- **नोट**–1– पूरी कक्षा को आठ समूहों में विभाजित करें। उन्हें कॉलम 5 के अनुसार छोटे समूहों में कार्य दिया जाना चाहिए।

➢ **पहला छोटा समूह–** प्राथमिकी का मसौदा तैयार करना – पेपर 2 BNS

➢ **दूसरा छोटा समूह–** मौके का पंचनामा लिखना, ई–साक्ष्य – पेपर 2 BNS

➢ **तीसरा छोटा समूह–** आरोपी की गिरफ्तारी – पेपर–3 माइनर एक्ट्स

➢ **चौथा छोटा समूह–** गवाह से बातचीत और बयान लिखना, ई–साक्ष्य – पेपर–3 माइनर एक्ट्स

➢ **पांचवां छोटा समूह–** FSL अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखना – पेपर 5(A)

➢ **छठा छोटा समूह–** आरोप पत्र (चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट) का मसौदा तैयार करना – पेपर 2 BNS

➢ **सातवां छोटा समूह–** पुलिस स्टेशन आने वाली जनता और मीडिया को संभालना – पेपर–9(B) पुलिस स्टेशन के कर्तव्य/कार्य

➢ **आठवां छोटा समूह–** चुनाव ड्यूटी के दौरान क्या करें और क्या न करें – पेपर 2 BNS

- **नोट–2–** व्यावहारिक सिमुलेशन (प्रैक्टिकल सिमुलेशन) के उपरोक्त कार्य के अंत में, क्या करें और क्या न करें के आधार पर समूह चर्चा की जानी चाहिए।
- **नोट–3–** आवश्यकतानुसार मॉड्यूल से पहले/बाद में वीकेंड या सार्वजनिक छुट्टियों पर फिल्म/वेब सीरीज दिखाई जानी चाहिए।

हाइब्रिड मॉड्यूल क्रम संख्या 8–गार्ड और संतरी ड्यूटी और ट्रेजरी, 9– कैदियों के साथ पुलिस एस्कॉर्ट, 10– हथकड़ी और रस्सियाँय इन कार्यों को इनडोर व्यावहारिक सिमुलेशन के बाद किया जाना चाहिए।

- **नोट–4 परीक्षा–** प्रैक्टिकल हैंड्स–ऑन सत्रों के अंतिम सत्र के दौरान A–12 से मौखिक (Viva) / MCQ टेस्ट आयोजित किया जाना है।
- व्यावहारिक सिमुलेशन के दौरान, सभी प्रशिक्षुओं से, पुलिस अधिकारी होने के नाते, लोक सेवक (PUBLIC SERVANTS) अध्याय में पढ़ाए गए लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है।
- **राज्य–विशिष्ट इनपुट** के लिए आवंटित सत्रों का उपयोग आवश्यकतानुसार संबंधित राज्य पुलिस मैनुअल और स्थायी आदेशों के अतिरिक्त सत्रों के लिए किया जा सकता है।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 12- Crime Regarding Public Servats (Day-7.7) (Session-46)
Paper- 02-Bhartiya Nyay Sanhita 2023- (Session-14)

धारा–147. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना– जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–148. धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र– जो कोई धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित हुआ हो।

धारा–149. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना– जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारूद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–150. युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना– जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को किसी कार्य द्वारा, या किसी अवैध लोप द्वारा, इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–151. किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल, आदि पर हमला करना– जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से, ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–152. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य– जो कोई प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

PTS Kherwara, Udaipur

स्पष्टीकरण–इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका–टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।

धारा–153. भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना– जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

धारा–154. भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना–जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करेगा, या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित, या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समपहरण का भी दायी होगा।

धारा–155. धारा 153 और धारा 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना– जो कोई किसी सम्पत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 153 और धारा 154 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के समपहरण का भी दायी होगा।

धारा–156. लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना– जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिरक्षा में रखते हुए, स्वेच्छया ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–157. उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना–जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राजकैदी या युद्धकैदी को अभिकक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करेगा,वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–158. ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना–जो कोई जानते हुए किसी राजकैदी या युद्धकैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा, या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैदी को, जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, संश्रय देगा या छिपाएगा या ऐसे कैदी का फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध ा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण–कोई राजकैदी या युद्धकैदी, जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर, यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है, जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है, जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है।

धारा–159. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना– जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक,

PTS Kherwara, Udaipur

नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

टिप्पणी 2– इस धारा में 'आफिसर (officer)' 'सैनिक (soldier)' 'नौसैनिक (sailor)' और 'वायुसैनिक (airman) शब्दों के तहत कोई भी व्यक्ति आता है, जो यथास्थिति आर्मीएक्ट या सेना अधिनियम, 1950 (1950) का 46), नेवल डिसिप्लिन एक्ट या इण्डियन नैवी (डिसिप्लीन) एक्ट, 1934 (1934 का 34) एयरफोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन हो।

धारा–160. विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए– जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप विद्रोह हो जाए, तो वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–161. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जब कि वह अधिकारी अपने पद–निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण– जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब कि वह अधिकारी अपने पद–निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–162. ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए– जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ अधिकारी पर, जब कि वह अधिकारी अपने पद–निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–163. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण– जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा–164. अभित्याजक को संश्रय देना– जो कोई एतस्मिन्पश्चात् यथा अपवादित के सिवाय, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को संश्रय देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अपवाद–इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें अभित्याजक पत्नी ध पति द्वारा अपने पतिध्पत्नी को संश्रय दिया जाता है।

टिप्पणी – इस धारा के अन्तर्गत किसी भगोडे (deserter) सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को जानबूझकर संश्रय या आश्रय देना अपराध माना गया है।

धारा–165. मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक– किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का, जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ हो, मास्टर या भारसाधक व्यक्ति, यद्यपि वह ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्ति से दंडनीय होगा जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, यदि उसे ऐसे छिपने का

PTS Kherwara, Udaipur

ज्ञान हो सकता था किंतु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई, या उस जल्यान पर अनुशासन का कुछ अभाव था।

धारा–166. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण– जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसे कि वह भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता का कार्य जानता हो, यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–167. कतिपय अधिनयमों के अध्यधीन व्यक्ति– वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अध्यधीन कोई व्यक्ति, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा।

धारा–168. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना– जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा, जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सदृश हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–169. अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए–.(क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हैय

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।

धारा–170. रिश्वत–(1) जो कोई–

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए ईनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया हैय या

(ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए ईनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है:

परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगा।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए, जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए ईनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को ईनाम के रुप में प्रतिगृहीत किया है।

टिप्पणी – इस धारा के अनुसार निर्वाचन का परिणाम अपनी इच्छानुसार प्राप्त करने के प्रयास में किसी व्यक्ति को खिलाना–पिलाना या उसके स्वल्पाहार, भोजन, वाहन आदि की व्यवस्था करके उसे

PTS Kherwala, Udaipur

भ्रष्ट करना भी परितोषण के अन्तर्गत समाविष्ट है। परन्तु इसमें अभ्यर्थी को दिया जाने वाला निर्वाचन का खर्च तथा निर्वाचन अभिकर्ता को भुगतान की जाने वाली राशि का समावेश नहीं होगा।

धारा–171. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना– (1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है।

(2)उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई–

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता हैय या

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

टिप्पणी – इसके अन्तर्गत निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी या मतदाता को शारीरिक या साम्पत्तिक क्षति कारित करने की धमकियाँ तथा अनुनय के अवैध तरीके समाविष्ट हैं जिनसे अभ्यर्थी या मतदाता की निर्वाचन सम्बन्धी स्वाधीनता में अनुचित हस्तक्षेप होता है।

धारा–172. निर्वाचनों में प्रतिरूपण– जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है**:**

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

धारा–173. रिश्वत के लिए दण्ड– जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा रू

परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी।

स्पष्टीकरण "सत्कार" से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जहां परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रुप में है।

धारा–174. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड– जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–175. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन– जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

PTS Kherwara Udaipur

धारा–176. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन– जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा,

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं।

धारा–177. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता– जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

धारा–198. लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है– जो कोई लोक सेवक होते हुए, विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उस ढंग के बारे में हो, जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, जानते हुए इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए अवज्ञा करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–199. लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है– जो कोई, लोक सेवक होते हुए, –

(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करेगाय या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करेगाय या

(ग) धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 76, धारा 77, धारा 79, धारा 124, धारा 143 या धारा 144 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा–200. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड– जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–201. लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है– जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से, या सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

PTS Kherwara, Udaipur

धारा–202. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है– जो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते, इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से, दंडित किया जाएगा।

धारा–203. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है– जो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते, इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह कतिपय संपत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिए बोली लगाए, या तो अपने नाम में, या किसी दूसरे के नाम में, या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, या आंशों में उस संपत्ति को क्रय करता है, या उसके लिए बोली लगाता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा, और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिहृत कर ली जाएगी।

धारा–204. लोक सेवक का प्रतिरूपण– जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का अपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरुपण करेगा और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदभार से कोई कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडित किया जाएगा।

धारा–205. कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना– जो कोई लोक सेवकों के किसी कतिपय वर्ग का न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान से कि सम्भाव्य है कि यह विश्वास किया जाए, कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा, या टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–206. समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना– जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे समन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो,–

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगाय

(ख) समन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए, या दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–207. समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना– जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जो लोक सेवक के नाते कोई समन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, निकाले गए समन, सूचना या आदेश की तामील, अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार जानबूझकर निवारित करेगा, या किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधिपूर्वक लगाया जाना जानबूझकर निवारित करेगा, या किसी ऐसे समन, सूचना या आदेश को किसी ऐसे स्थान से, जहां कि विधिपूर्वक लगाया हुआ है, जानबूझकर हटाएगा, किसी ऐसे लोक सेवक के प्राधिकाराधीन की जाने वाली किसी उद्घोषणा का विधिपूर्वक किया जाना जानबूझकर निवारित करेगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा का किया जाना निर्दिष्ट करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो,–

PTS Kherwara, Udaipur

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगाय
(ख) समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–208. लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर–हाजिर रहना– जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में, जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, उस स्थान या समय पर हाजिर होने का जानबूझकर लोप करता है, या उस स्थान से, जहां हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है, उस समय से पूर्व चला जाता है, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता,–
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगाय
(ख) समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–220. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना– जो कोई संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं हो, या कोई अन्य हो, किसी संपत्ति का क्रय करेगा या किसी संपत्ति के लिए बोली लगाएगा, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस संपत्ति के क्रय करने के बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है या ऐसी संपत्ति के लिए यह आशय रखकर बोली लगाएगा कि ऐसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन वह अपने आप को डालता है उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–222. लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो– जो कोई किसी लोक सेवक को, उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसी सहायता देने का जानबूझकर लोप करेगा,
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगाय
(ख) और ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिए विधिक रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के, या बल्वे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–223. लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा– जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में की, या अपने प्रबन्धनाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा, –

PTS Kherwara, Udaipur

(क) यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, या बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
(ख) और जहां ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण—यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना संभाव्य है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।
धारा—236. ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन— जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसकी किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो कोई ऐसा कथन करेगा, जो किसी ऐसी बात के संबंध में, जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।
धारा—238. अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना— जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप, इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दंड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है,—
(क) यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगाय
(ख) और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगाय
(ग) यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडनीय हो, जो दस वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए, जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक—चौथाई तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
धारा—248. क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप— जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है—
(क) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या दो लाख रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगाय
(ख) ऐसी दांडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

PTS Kherwara, Udaipur

धारा–249. अपराधी को संश्रय देना– जब कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा–

(क) यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगाय

(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक के कारावास से, दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगाय

(ग) यदि वह अपराध एक वर्ष तक, न कि दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगाय

स्पष्टीकरण–इस धारा में ष्अपराधष के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है, जो, यदि भारत में किया जाता हो तो निम्नलिखित धारा, अर्थात् धारा 103, धारा 105, धारा 307, धारा 309 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 310 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 311, धारा 312, धारा 326 के खंड (च) और खंड (छ), धारा 331 की उपधारा (4), उपधारा (6) उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 332 के खंड (क) और खंड (ख) में से किसी धारा के अधीन दंडनीय होता और प्रत्येक एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी था।

अपवाद–इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिससे अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो।

धारा–253. ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है– जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे, या जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देगा या छिपाएगा, वह निम्नलिखित रीति से दंडित किया जाएगा,–

(क) यदि वह अपराध, जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है, मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगाय

(ख) यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या दस वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगाय

(ग) यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो, जो एक वर्ष तक का, न कि दस वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा में ष्अपराधष के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता है, जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अभिकथित हो, जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता, तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए, वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और प्रत्येक ऐसा कार्य

PTS Kherwara, Udaipur

या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था।

अपवाद—इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो।

धारा—254. लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति— जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाले हैं या हाल ही में लूट या डकैती कर चुके हैं, उनको या उनमें से किसी को, ऐसी लूट या डकैती का किया जाना सुकर बनाने के, या उनको या उनमें से किसी को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से संश्रय देगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तत्त्वहीन है कि लूट या डकैती भारत में करनी आशयित है या की जा चुकी है, या भारत से बाहर।

अपवाद—इस धारा के उपबंधों का विस्तार ऐसे मामले पर नहीं है, जिसमें संश्रय देना, या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी द्वारा हो।

धारा—255. लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा— जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के ऐसे किसी निदेश की, जो उस संबंध में हो कि उससे ऐसे लोक सेवक के नाते किस ढंग का आचरण करना चाहिए, जानते हुए अवज्ञा किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्वारा बचाएगा यह जानते हुए या उतने दंड की अपेक्षा, जिससे वह दंडनीय है, तद्वारा कम दंड दिलवाएगा यह संभाव्य जानते हुए या किसी संपत्ति को ऐसे समपहरण या किसी भार से, जिसके लिए वह संपत्ति विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्वारा बचाएगा यह जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा—256. किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना— जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते कोई अभिलेख या अन्य लेख तैयार करने का भार रखते हुए, उस अभिलेख या लेख की इस प्रकार से रचना, जिसे वह जानता है कि अशुद्ध है लोक को या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करने के आशय से या संभाव्यतः तद्वारा कारित करेगा यह जानते हुए या किसी व्यक्ति को वैध दंड से बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्वारा बचाएगा यह जानते हुए या किसी संपत्ति को ऐसे समपहरण या अन्य भार से, जिसके दायित्व के अधीन वह संपत्ति विधि के अनुसार है, बचाने के आशय से या संभाव्यतः तद्वारा बचाएगा या जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा—257. न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना— जो कोई लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय, जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता हो, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देगा, या सुनाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा—258. प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी— जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हुए, जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करने का, या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार हो किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि

PTS Kherwara, Udaipur

के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–259. पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप–कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का जानबूझकर लोप करता है या ऐसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का निकल भागना जानबूझकर सहन करता है या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में जानबूझकर मदद करता है, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा, –

(क) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगीय या

(ख) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है या पकड़े जाने के दायित्व के अध ीन है, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगीय या

(ग) यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से।

धारा–263. किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा– जो कोई किसी अपराध के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में जानबूझकर प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसी अभिरक्षा से, जिसमें वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, जानबूझकर छुड़वाता है या छुड़ाने का प्रयत्न करता है,–

(क) वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगाय या

(ख) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास से, या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगाय या

(ग) यदि उस व्यक्ति पर, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु–दंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो या वह उसके लिए पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो तो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगाय या

(घ) यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो या जो छुड़ाया गया हो, या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन या वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगाय या

(ङ) यदि वह व्यक्ति, जिसे पकड़ा जाना हो, या जो छुड़ाया गया हो या जिसके छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, इतनी अवधि के लिए जो दस वर्ष से अनधिक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

PTS Kherwara, Udaipur

धारा–264. उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना– जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध हो उस व्यक्ति को किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 259, धारा 260 या धारा 261 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में कोई उपबंध नहीं है, पकड़ने का लोप करेगा या परिरोध में से निकल भागना सहन करेगा,–

(क) यदि वह ऐसा जानबूझकर करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों सेय और

(ख) यदि वह ऐसा उपेक्षापूर्वक्क करता है तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–265. अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना– जो कोई स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े जाने में जानबूझकर कोई प्रतिरोध करता है या अवैध बाधा डालता है या किसी अभिकक्षा में से, जिसमें वह विधिपूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागता है या निकल भागने का प्रयत्न करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी अभिकक्षा में से, जिसमें वह व्यक्ति विधिपूर्वक निरुद्ध हो, छुड़ाता है या छुड़ाने का प्रयत्न करता है वह किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए धारा 262 या धारा 263 या तत्समय प्रवृत्तकिसी अन्य विधि में उपबंध नहीं है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–266. दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण– जो कोई दड का सशर्त परिहार स्वीकृत कर लेने पर किसी शर्त का जिस पर ऐसा परिहार दिया गया था, जानते हुए अतिक्रमण करता है, यदि वह उस दंड का, जिसके लिए वह मूलतः दंडादिष्ट किया गया था, कोई भाग पहले ही न भोग चुका हो, तो वह उस दंड से और यदि वह उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो, तो वह उस दंड के उतने भाग से, जितने को वह पहले ही भोग चुका हो, दंडित किया जाएगा।

धारा–267. न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न– जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय, जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, जानबूझकर कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

268. असेसर का प्रतिरूपण– जो कोई किसी मामले में प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा, अपने को यह जानते हुए असेसर के रूप में तालिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ जानबूझकर कराएगा या होने देना जानते हुए सहन करेगा कि वह इस प्रकार तालिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ होने का विधि द्वारा हकदार नहीं है या यह जानते हुए कि वह इस प्रकार तालिकांकित, पेनलित या गृहीतशपथ विधि के प्रतिकूल हुआ है ऐसे असेसर के रूप में स्वेच्छा सेवा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा–269. जमानतपत्र या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता– जो कोई, किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानतपत्र पर या अपने बंधपत्र पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बंधपत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना (जो साबित करने का भार उस पर होगा) हाजिर होने में असफल रहता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के अधीन दंड–

(क) उस दंड के अतिरिक्त है, जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए, जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है, दोषसिद्धि पर दायी होगाय और

PTS Khervara, Udaipur

(ख) न्यायालय की बंधपत्र के समपहरण का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 12- Crime Regarding Public Servants (Day-7.7) (Session-46)
Paper- 03-Minor ActSpecial and Local Laws- (Session-07)

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988)**

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 है।

(2) इसका विस्तार 1''' संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों को भी लागू है।

2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "निर्वाचन" से संसद् या किसी विधान–मंडल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन, किसी भी माध्यम से, कराया गया निर्वाचन अभिप्रेत है;

(कक) "बिहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है तदनुसार "विहित" पर का अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "लोक कर्तव्यष से अभिप्रेत है वह कर्तव्यय जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित है।

स्पष्टीकरण इस खंड में, "राज्य" के अंतर्गत किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी भी हैय

(ग) "लोक सेवक" से अभिप्रेत है,–

(i) कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हैय

(ii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है।

(iii) कोई व्यक्ति जो किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर हैय

(iv) कोई न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो किन्हीं न्यायनिर्णयन कृत्यों का, चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति के निकाय के सदस्य के रूप में, निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हैय

(v) कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त भी हैय

(vi) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हैय

PTS Kherwara, Udaipur

(vii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त है

(viii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है।

(ix) कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी हैय

(x) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए या उसके द्वारा चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य हैरू

(xi) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदाभिधान से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन या संचालन के संबंध में लिया गया हैय

(xii) कोई व्यक्ति जो किसी भी रीति में स्थापित किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था का, जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदधारी या कर्मचारी है।

(घ) "असम्यक् लाभ" से ऐसा कोई परितोषण अभिप्रेत है, चाहे जैसा भी हो, जो विधिक परिश्रमिक से भिन्न हो।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "परितोषण" शब्द धनीय परितोषणों या धन के रूप में प्राक्कलनीय परितोषणों तक सीमित नहीं हैय
।

(ख) "विधिक पारिश्रमिक" पद किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बंधित नहीं है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसे सभी पारिश्रमिक भी हैं, जो उसे सरकार या संगठन द्वारा, जिसकी वह सेवा करता है, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है ।।

स्पष्टीकरण 1–उपर्युक्त उपखंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं।

स्पष्टीकरण 2– "लोक सेवक" शब्द जहां भी आए हैं, वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझ जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो ।

7. लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित–ऐसा कोई लोक सेवक जो, –

(क) या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अनुचित रूप से या बेईमानी से लोक कर्तव्य का पालन करने या पालन करवाने या ऐसे कर्तव्य से प्रविरत रहने या प्रविरत करवाने के आशय से किसी व्यक्ति से, कोई असम्यक् लाभअभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगाय या

PTS Kherwara, Udaipur

(ख) या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा, किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से, पालन करने के लिए या ऐसे कर्तव्य के पालन से प्रविरत रहने के लिए किसी इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभअभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगाय या

(ग) किसी व्यक्ति से कोई असम्यक् लाभ प्रतिगृहीत करने की प्रत्याशा में या उसके परिणामस्वरूप किसी लोक कर्त्तव्य का अनुचित रूप से या बेईमानी से पालन करेगा या ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने से प्रविरत रहेगा या किसी अन्य लोक सेवक को अनुचित रूप से या बेईमानी से पालन करने के लिए उत्प्रेरित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1– इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी असम्यक् लाभ को अभिप्राप्त करेगा, प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, से ही अपराध का गठन होगा यद्यपि लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य का पालन अनुचित न हो या न रहा हो।

स्पष्टीकरण 2– इस धारा के प्रयोजन के लिए, –

(i) "अभिप्राप्त करेगा" या "प्रतिगृहीत करेगा" या "अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा" पदों में ऐसे मामले सम्मिलित होंगे, जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करके या किसी अन्य लोक सेवक पर अपने वैयक्तिक असर का प्रयोग करके का किन्हीं अन्य भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वारा कोई असम्यक् लाभ अभिप्राप्त करता है या ष्प्रतिगृहित करता हैष या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है,

(ii) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होते हुए असम्यक् लाभ सीधे या अन्य व्यक्ति के माध्यम से अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

7क. लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या वैयक्तिक असर का प्रयोग करके असम्यक् लाभ लेना– जो, कोई अपनेलिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई असम्यक् लाभ, किसी लोक सेवक को, भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने हेतु या इनाम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अनुचित रूप से या बेईमानी से लोक कर्त्तव्य का पालन करे या पालन करवाए या ऐसा लोक सेवक, ऐसा लोक कर्तव्य करने से प्रविरत रहे या किसी अन्य लोक सेवक को ऐसे लोक कर्त्तव्य का पालन करने से प्रविरत रखे, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्षसे कम की नहींहोगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

11. लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से संबद्ध व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, असम्यक् लाभ। अभिप्राप्त करता है– जो कोई लोक सेवक होते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से वह व्यक्ति संपृक्त रह चुका है, या है या उसका संपृक्त होना संभाव्य है, या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक के, जिसका वह अधीनस्थ है, पदीय कृत्यों या लोक कर्तव्य, से वह व्यक्ति संपृक्त है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से यह जानते हुए हुए कि वह इस प्रकार संपृक्त व्यक्ति से हितबद्ध है या नातेदारी रखता है, किसी ख्असम्यक् लाभ को किसी प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसे वह जानता है, कि अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा, 2''' या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा।

PTS Kherwara, Udaipur

➢ शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,–

(1) ऐसे स्थान के प्रति, जो सरकार का है, किसी निर्देश के अन्तर्गत ऐसा स्थान भी है जो सरकार के किसी विभाग के अधिभोग में है, भले ही वह स्थान सरकार में वास्तविक रूप में निहित हो या न हो;

(2) संसूचित करने या प्राप्त करने के प्रति निर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार संसूचित करना या प्राप्त करना है चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक और चाहे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को ही अथवा उसके सार, आशय या वर्णन को संसूचित किया गया हो या प्राप्त किया गया होय किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अभिप्राप्त करने या प्रतिधृत रखने के प्रति निर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की पूरी या उसके किसी भाग की नकल करना या नकल करवाना भी हैय और किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की संसूचना के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज का अन्तरण या प्रेषण भी है;

(3) "दस्तावेज" के अन्तर्गत दस्तावेज का भाग भी है;

(4) "प्रतिमान" के अन्तर्गत डिजाईन, पैटर्न और नमूना भी है;

(5) "युद्ध सामग्री" के अन्तर्गत कोई पूरा पोत, पनडुब्बी, वायुयान, टैंक या सदृश इंजिन, आयुध और गोलाबारूद, तारपीडो या सुरंग, जो युद्ध में उपयोग के लिए आशयित या अनूकूलित हो या उसका कोई भाग तथा ऐसे उपयोग के लिए आशयित, चाहे वास्तविक या प्रस्थापित, कोई अन्य चीज सामग्री या
युक्ति है;

(6) "सरकार के अधीन पद" के अन्तर्गत सरकार 6''' के किसी विभाग में या उसके अधीन कोई पद या नियोजन है;

(7) "फोटोग्राफ" के अन्तर्गत बिना धुली हुई फिल्म या प्लेट भी है;

(8) "प्रतिषिद्ध स्थान" से अभिप्रेत है–

(क) कोई रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसेनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल का संस्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग–क्षेत्र, शिविर, पोत या वायुयान जो सरकार का है, या सरकार के या उसकी ओर से अधिभोग में है कोई सैनिक तारयंत्र या टेलीफोन, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, कोई बेतार या संकेत स्टेशन या कार्यालय, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है और कोई कारखाना, डाकयार्ड या अन्य स्थान, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, और जिसका उपयोग किसी युद्ध सामग्री के या तत्संबंधी किन्हीं रेखाचित्रों, रेखांकों, प्रतिमानों या दस्तावेजों के निर्माण, मरम्मत, बनाने या भंडार में रखने के प्रयोजन के लिए या युद्ध के समय किन्हीं उपयोगी धातुओं, तेल या खनिजों के प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है;

(ख) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का नहीं है और जहां कोई युद्ध सामग्री या तत्संबद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार के साथ, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के साथ, संविदा के अधीन या अन्यथा सरकार की ओर से बनाई जा रही, मरम्मत की जा रही या प्राप्त की जा रही या भंडार में रखी जा रही है;

(ग) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का है या सरकार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने, इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसे नुकसान शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस

PTS Kherwara, Udaipur

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है;

(घ) कोई रेल, सड़क, मार्ग या जलसरणी या भूमि मार्ग या जल मार्ग द्वारा संचार के अन्य साधन (जिनके अन्तर्गत उनके भागरूप या उनसे संबंधित कोई संकर्म या संरचनाएं भी हैं) या गैस, जल या विद्युत् संकर्मों या सार्वजनिक प्रकार के प्रयोजनों के लिए अन्य संकर्मों के वास्ते प्रयुक्त कोई स्थान या कोई स्थान जहां युद्ध सामग्री या तत्सम्बद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार की ओर से बनाए जाने से अन्यथा बनाए जा रहे, मरम्मत किए जा रहे या भंडार में रखे जा रहे हैं, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है;

(9) "रेखाचित्र" के अन्तर्गत कोई फोटोग्राफ या किसी स्थान या चीज का प्रतिरूपण करने वाला अन्य ढंग है; और

(10) "पुलिस अधीक्षक" के अन्तर्गत समान या वरिष्ठ पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी और ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसे केन्द्रीय सरकार ने 2''' पुलिस अधीक्षक की शक्तियां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त की हों।

3. गुप्तचरी के लिए शास्तियां (1) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए–

(क) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप जाएगा, उसका निरीक्षण करेगा, उस पर से गुजरेगा या उसके निकट होगा या उसमें प्रवेश करेगा ; या

(ख) कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान या टिप्पण बनाएगा या करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है, या होने के लिए आशयित है; या

(ग) कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द, या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज या टिप्पण या अन्य दस्तावेज, या जानकारी अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है, या होने के लिए आशयित है श्या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है;

तो वह कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि उस दशा में जिसमें वह अपराध किसी रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के स्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग क्षेत्र, कारखाने, डाकयार्ड, शिविर, पोत या वायुयान के संबंध में अथवा अन्यथा रूप से सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के कार्यों के संबंध में या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी के संबंध में किया जाता है चौदह वर्ष तक की तथा अन्य मामलों में तीन वर्ष तक की हो सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए 1*** अभियोजन पर यह दर्शित करना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे विशिष्ट कार्य का दोषी है जिसकी प्रवृत्ति राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयोजन दर्शित करने की है, और इस बात के होते हुए भी कि उसके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य साबित नहीं होता है उसे सिद्धदोष ठहराया जा सकेगा यदि मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से, जैसा कि साबित हो, यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था और यदि, किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रयुक्त या उससे संबद्ध अथवा ऐसे स्थान में कि किसी चीज से सम्बद्ध किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी अथवा संकेत शब्द को विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे व्यक्ति से भिन्न

PTS Kherwara, Udaipur

किसी व्यक्ति द्वारा बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया जाता है, और मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से जैसा कि साबित हो यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था तो ऐसे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, (जानकारी, संकेतकी या संकेत शब्द की बाबत या उपधारित किया जाएगा कि उसे राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन के लिए बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया गया था।

4. विदेशी अभिकर्ताओं से सम्पर्क का कतिपय अपराधों के किए जाने का साक्ष्य होना (1) धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में यह तथ्य कि वह, चाहे (भारत) के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है या उसने सम्पर्क करने का प्रयत्न किया है इस बात को साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा कि उसने, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी अभिप्राप्त की है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है या होने के लिए आशयित है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किन्तु पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –है, यदि–

(क) किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है, या

(i) वह या तो भारत के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता के ठिकाने पर गया है या विदेशी अभिकर्ता के साथ साहचर्य या सहयुक्ति करता रहा है, या

(ii) या तो ख्भारत, के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता का नाम या पता या उसके बारे में कोई अन्य जानकारी उसके कब्जे में पाई गई है या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की गई है;

(ख) "विदेशी अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य ख्भारत, के भीतर या बाहर करने के प्रयोजन के लिए प्रत्य क्ष या परोक्ष रूप से किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियोजित है या रहा है या जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि उसके ऐसा होने या रहने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है अथवा जिसने किसी विदेशी शक्ति के हित में ऐसा कोई कार्य भारत, के भीतर या बाहर किया है या करने का प्रयत्न किया है या उसके ऐसा करने का युक्तियुक्त संदेह है;

(ग) किसी ऐसे पते की बाबत चाहे वह भारत, के भीतर हो या बाहर, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसके किसी विदेशी अभिकर्ता के लिए आशयित संसूचनाओं की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पता होने का संदेह करने के लिए युक्ति युक्त आधार है, अथवा किसी ऐसे पते की बाबत जिसमें कोई विदेशी अभिकर्ता निवास करता है या जिसमें वे संसूचनाएं देने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आता जाता है या जिसमें वह कोई कारबार करता है, यह उपधारित किया जाएगा कि वह विदेशी अभिकर्ता का पता है और ऐसे पते वाली संसूचनाएं विदेशी अभिकर्ता की संसूचनाएं है।

5. जानकारी की सदोष संसूचना आदि– (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान से सम्बद्ध या उसमें प्रयुक्त की जाती है या ऐसे स्थान में की किसी चीज से सम्बद्ध है [अथवा जिससे शत्रु को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः सहायता होनी सम्भाव्य है, या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है या जो इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है। अथवा जो उसे सरकार के अधीन पद धारण

PTS Kherwara, Udaipur

करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासपूर्वक सौंपी गई है अथवा जिसकी उसे अभिप्राप्ति या जिस तक उसकी पंहुच उसकी उस स्थिति के कारण हुई जो ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार के अधीन पद धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार की ओर से की गई किसी संविदा को धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो उस किसी व्यक्ति के अधीन नियोजित है या रह चुका है जो ऐसा पद या संविदा धारण करता है या कर चुका है–

(क) उस संकेतकी या संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी की संसूचना उस व्यक्ति से, जिसे उससे संसूचित करने को वह प्राधिकृत है, या किसी न्यायालय से, या उस व्यक्ति से, जिसको राज्य के हितों में, उसे संसूचित करना उसका कर्तव्य है, भिन्न किसी व्यक्ति को जानबूझकर संसूचित करेगा; या

(ख) अपने कब्जे में की जानकारी का उपयोग किसी विदेशी शक्ति के फायदे के लिए या ऐसी किसी अन्य रीति में करेगा जो राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो; या

(ग) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अपने कब्जे या नियंत्रण में प्रतिधृत रखेगा जब कि उसे उसको प्रतिधारित रखने का अधिकार नहीं है या जब कि उसे प्रतिधारित रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है या विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा उसकी वापसी या व्ययन के संबंध में दिए गए सब निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल होगा; या

(घ) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या जानकारी की युक्तियुक्त संभाल करने में असफल होगा या ऐसे आचरण करेगा जिससे उसकी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो जाए, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को स्वेच्छया प्राप्त करेगा जब कि उस समय जब वह उसे प्राप्त करता है वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह संकेतकी, संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी इस अधिनियम के उल्लंघन में संसूचित की गई है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो युद्ध सामग्री से सम्बद्ध है उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी विदेशी शक्ति को, या किसी ऐसी अन्य रीति में जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, संसूचित करेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

[(4) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

6. वर्दियों का अप्राधिकृत उपयोग, रिपोर्टों का मिथ्याकरण, कूटरचना, प्रतिरूपण और मिथ्या दस्तावेज–(1) यदि कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश पाने के या प्रवेश पाने में किसी व्यक्ति को सहायता देने के प्रयोजन के लिए या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी अन्य प्रयोजन के लिए–

(क) किसी नौसैनिक, सैनिक, वायुसैनिक, पुलिस या अन्य शासकीय वर्दी का या उससे लगभग उतनी मिलती जुलती वर्दी का, कि उससे धोखा हो सकता है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उपयोग करेगा या पहनेगा, या अपने को ऐसा व्यक्ति मिथ्या रूपेण व्यपदिष्ट करेगा जो किसी भी ऐसी वर्दी का उपयोग करने या पहनने का हकदार है या हकदार रहा है; या

(ख) मौखिक रूप से या किसी घोषणा या आवेदन में लिखित रूप में, या अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में कोई मिथ्या कथन या कोई लोप जानबूझकर करेगा या करने में मौनानुकूल रहेगा; या

PTS Kherwara, Udaipur

(ग) किसी पासपोर्ट को या किसी नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक या पुलिस या शासकीय पास, अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या उसी प्रकार की अन्य दस्तावेज को (जो एतत्पश्चात् इस धारा में शासकीय दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट है) कूटरचित करेगा, बदलेगा या बिगाड़ेगा या ऐसी किसी कूटरचित, बदली हुई या अनियमित शासकीय दस्तावेज का जानबूझकर उपयोग करेगा या उसे अपने कब्जे में रखेगा; या

(घ) सरकार के अधीन पद धारण करने वाला, या धारण करने वाले व्यक्ति के नियोजन में, व्यक्ति होने का या ऐसा व्यक्ति होने का या न होने का, जिसको शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द सम्यरूपेण दिया गया या संसूचित किया गया है, प्रतिरूपण करेगा या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या किसी शासकीय दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिप्राप्त करने के आशय से कोई मिथ्या कथन जानबूझकर करेगा; या

(ङ) किसी ऐसी डाइ, मुद्रा या स्टाम्प को जो सरकार के किसी विभाग का या उसके स्वामित्वाधीन हो या जिसका प्रयोग, निर्माण या प्रदाय सरकार के विभाग द्वारा या किसी ऐसे राजनयिक, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो जो सरकार द्वारा नियुक्त या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यशील हो, सरकार के विभाग या संबंधित प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना, अथवा किसी ऐसी डाइ, मुद्रा या स्टाम्प से लगभग इतने मिलते जुलते हैं कि उससे धोखा हो सके किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा या किसी ऐसी डाइ, मुद्रा या स्टाम्प को कूटकृत करेगा अथवा किसी ऐसी कुटकृत डाइ, या मुद्रा या स्टाम्प को जानबूझकर प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा,तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए—

(क) किसी शासकीय दस्तावेज को, भले ही वह पूरी अथवा उपयोग के लिए जारी की गई हो या नहीं, प्रतिधारित रखेगा जब कि उसे प्रतिधृत रखने का उसे कोई अधिकार नहीं है, या जब कि उसको प्रतिधृत रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है, या सरकार के किसी विभाग या ऐसे विभाग के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लौटाने या व्ययन के संबंध में दिए गए निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ख) केवल अपने प्रयोग के लिए जारी की गई किसी शासकीय दस्तावेज पर कब्जा अन्य व्यक्ति को करने देगा या ऐसे जारी किए गए किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को संसूचित करेगा, या विधिपूर्ण प्राधिकार अथवा प्रतिहेतु के बिना किसी ऐसी शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को जो उससे भिन्न किसी व्यक्ति के प्रयोग के लिए जारी किया गया हो अपने कब्जे में रखेगा या किसी शासकीय दस्तावेज को पाने पर या अन्यथा अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसके द्वारा या जिसके प्रयोग के लिए वह जारी की गई थी, या किसी पुलिस अधिकारी को उसे प्रत्यावर्तित करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ग) पूर्वोक्त जैसे किसी डाइ, मुद्रा या स्टाम्प को विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना विनिर्मित करेगा या विक्रय करेगा अथवा विक्रय के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, अथवा दोनो से, दंडनीय होगा।

(4) धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंध, सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक मामलों से संबद्ध या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी से संबद्ध इस धारा के अधीन अपराध के लिए किसी अभियोजन में राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के प्रयोजनार्थ वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन दण्डनीय ''' अपराधों के अभियोजनों में राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के लिए लागू होते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

7. पुलिस अधिकारियों या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के काम में हस्तक्षेप करना (1) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी, या संघ के सशस्त्र बलों, के किसी सदस्य को, जो उसी प्रतिषिद्ध स्थान के सम्बन्ध में गार्ड, संतरी, पैट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो, बाधित नहीं करेगा, जानबूझकर मार्ग भ्रष्ट नहीं करेगा या अन्यथा उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा या अड़चन नहीं डालेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष) तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

10. गुप्तचरों को संश्रय देने के लिए शास्ति– (1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय देगा जिसकी बाबत वह जानता है, या उसके पास इस अनुमान के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन अपराध करने वाला है या कर चुका है अथवा अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जानबूझकर मिलने या समवेत होने देगा, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) उपरोक्त जैसे किसी व्यक्ति को संश्रय देने वाले या उपरोक्त जैसे किन्हीं व्यक्तियों को अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में मिलने या समवेत होने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों संबंधी ऐसी जानकारी जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी जानकारी को देने में असफल रहेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

13. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन– (1) समुचित सरकार, द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय जो जिला या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विचारणाधीन कोई व्यक्ति आरोप विरचित किए जाने से पहले किसी समय सेशन न्यायालय द्वारा विचारण का दावा करता है तो यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करता तो वह मामले को उस न्यायालय द्वारा विचारणार्थ सुपुर्द कर देगा, भले ही वह ऐसा मामला नहीं है जो उक्त न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय हो ।

(3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, समुचित सरकार, 2''' या इस निमित्त समुचित सरकार, द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के आदेश से या उससे प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के प्रयोजनों के लिए वह अपराध या तो उस स्थान पर जहां वह वास्तव में किया गया था या भारत, में किसी स्थान पर जहां अपराधी पाया जाए किया गया समझा जाएगा ।

(5) इस धारा में समुचित सरकार से अभिप्रेत है–

(क) धारा 5 के अधीन किन्हीं अपराधों के सम्बन्ध में जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान या किसी विदेशी शक्ति से संबंधित नहीं हैं, राज्य सरकार; और

(ख) किसी अन्य अपराध के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ।

PTS Kherwara, Udaipur

➢ राष्ट्र–गौरव अपमान–निवारण अधिनियम, 1971

धारा 1. संक्षिप्त नाम और विस्तार (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्र–गौरव अपमान–निवारण अधिनियम, 1971 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

धारा 2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान का अपमान– जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में या जनता को दृष्टिगोचर किसी अन्य स्थान में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अथवा भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाएगा, विकृत करेगा, विरूपित करेगा, अपवित्र करेगा, विद्रूप करेगा, नष्ट करेगा या रौंदेगा या (चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा अथवा कार्यों द्वारा) उसके प्रति अन्यथा अनादर दर्शित करेगा या अपमान करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1 विधिपूर्ण साधनों से भारत के संविधान में संशोधन या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में परिवर्तन कराने की दृष्टि से संविधान या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का या सरकार के किन्हीं अध्युपायों का अनुमोदन व्यक्त करने वाली टीका–टिप्पणियां या आलोचना करना इस धारा के अधीन अपराध नहीं है।

स्पष्टीकरण 2 "भारतीय राष्ट्रीय ध्वज" पद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का या उसके किसी भाग या किन्ही भागों का किसी पदार्थ का बना हुआ या किसी पदार्थ पर रूपित चित्र, रंगचित्र या फोटो–चित्र है या अन्य दृश्य रूपण भी है।

स्पष्टीकरण 3 "सार्वजनिक स्थान" से जनता के उपयोग के लिए आशयित या उसकी पहुंच का कोई स्थान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्रवहण भी है।

स्पष्टीकरण 4 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है**:**

(क) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान या तिरस्कार करनाय या

(ख) किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अभिवादन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को झुकानाय या

(ग) ऐसे अवसरों के सिवाय जिन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सार्वजनिक भवनों पर झुका हुआ फहराया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ फहरानाय या

(घ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी प्रकार के वस्त्र आवरण के रूप में, राज्य अंत्येष्टियों या सशस्त्र बलों या अन्य पैरा सैन्य बलों की अंत्येष्टियों के सिवाय, उपयोग करनाय या

(ङ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का,–

(प) किसी भी प्रकार की ऐसी वेशभूषा, वर्दी या उपसाधन के, जो किसी व्यक्ति की कमर से नीचे पहना जाता है. किसी भाग के रूप में, या

(पप) कुशनों, रुमालों, नैपकिनों, अधोवस्त्रों या किसी पोशाक सामग्री पर कशीदाकारी या छपाई करके, उपयोग करनाय या ।,

(च) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर किसी प्रकार का उत्कीर्ण लेखन करनाय या

(छ) गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर समारोहों के भागरूप, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पूर्व फूलों की पंखुड़ियों के सिवाय, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का कोई वस्तु प्राप्त करने, परिदान करने या ले जाने के लिए पात्र के रूप में उपयोग करनाय या

(ज) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रतिमा या स्मारक या वक्ता की डैस्क या वक्ता के मंच को ढकने के लिए उपयोग करनाय या

(झ) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को साशय जमीन या भूतल को स्पर्श करने देना या जल में घसीटते हुए ले जानाय या

(ञ) किसी यान, रेलगाड़ी, नाव या वायुयान या ऐसी ही किसी अन्य वस्तु के छत्रक, शिखर और पार्श्व भागों या पृष्ठ भाग पर या उस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से आच्छादित करनाय या

PTS Kherwara, Udaipur

(ट) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का किसी भवन को ढकने के लिए उपयोग करनाय या
(ठ) साशय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के श्केसरिया रंग का नीचे की ओर प्रदर्शन करना ।,

3. भारतीय राष्ट्रगान के गायन को रोकना, आदि– जो कोई भारतीय राष्ट्रगान के गायन को साशय रोकेगा या ऐसे गायन में लगे हुए किसी जनसमूह के लिए विघ्न पैदा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

3क. दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धियों पर वर्धित शास्ति– जो कोई धारा 2 या धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए
पहले से ही दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् ऐसे किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी दंडनीय होगा ।

PTS Kherwara, Udaipur

संख्या 15/1/2023—पब्लिक
भारत सरकार गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 05 अगस्त, 2025

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयोंधविभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमो के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में—

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान की स्थित्ति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ—साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं। प्रतिइस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.पद पर भी उपलब्ध है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की मुख्य दिशा—निर्देश संलग्न हैं।

2 भारतीय झंडा संहिता के भाग— ।। के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज के बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज के बने राष्ट्रीय झंडो को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।

3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक — यथोपरि

(कमलेश रबिदास)
अवर सचिव, भारत

सरकार

PTS Kherwara, Udaipur

➢ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(1951 का अधिनियम संख्यांक 43)

धारा 2. निर्वचन (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) उस हर एक पद का, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 2 में या धारा 27 की उपधारा (1) में परिभाषित है किंतु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में है;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से लोक सभा या राज्य सभा के निर्वाचन के संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के निर्वाचन के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(खख) "मुख्य निर्वाचन आफिसर" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क के अधीन नियुक्त आफिसर अभिप्रेत है ;

(ग) "भ्रष्ट आचरण" से धारा 1234''' में विनिर्दिष्ट आचरणों में से कोई भी आचरण अभिप्रेत है:

(गग) "जिला निर्वाचन आफिसर" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13कक के अधीन पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट आफिसर अभिप्रेत है;

(घ) "निर्वाचन" से संसद् के दोनों सदनों से किसी में के या 6''''' किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

(ङ) "निर्वाचक" से किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन नहीं है;,

(च) "राजनैतिक दल" से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है जो धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है :

(छ) "विहित" इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "लोक अवकाश दिन" से कोई ऐसा दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए लोक अवकाश दिन है।

(झ), "हस्ताक्षर करने" से ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है. ऐसी रीति में अधिप्रमाणित करना अभिप्रेत है जैसी विहित की जाए।

(2) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, सभा निर्वाचन क्षेत्र, परिषद निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में से हर एक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विभिन्न वर्ग का निर्वाचन क्षेत्र समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी अपेक्षा का, कि किसी प्राधिकारी द्वारा निकाली गई या बनाई गई अधिसूचना, आदेश, नियम, घोषणा, सूचना या सूची को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, अर्थ जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, ऐसे लगाया जाएगा मानो यह अपेक्षा है कि वह अधिसूचना, आदेश, नियम, घोषणा, सूचना या सूची–

(क) जहां कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई या बनाई गई है, वहां भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएय

(ख) जहां कि वह राज्य सरकार द्वारा निकाली गई वा बनाई गई है, वहां राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए रू तथा

(ग) जहां कि वह किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निकाली गई या बनाई गई है. वहां यदि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी के लिए निर्वाचन या उसकी सदस्यता के संबंध में है, तो भारत के राजपत्र में

PTS Kherwara, Udaipur

और यदि वह किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या दोनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन या उसकी सदस्यता के संबंध में है. तो उस राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए।
(4) जहां कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन कोई बात विहित की जानी है वहां विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों के लिए विभिन्न उपबंध किए जा सकेंगे।

29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबंध (1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के लिए
या राज्य की विधान परिषद में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से वह स्थान नियत करेगा जहां कि ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान होगा और ऐसे नियत स्थान को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।
(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसे नियत स्थान में ऐसे निर्वाचन में पीठासीन होगा और अपनी सहायता के लिए ऐसा या ऐसे मतदान आफिसर नियुक्त करेगा जैसे वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है।
29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण (1) भारत के व्यष्टिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय, जो स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और जो इस भाग के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजनैतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगा।
(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन,
(क) यदि संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 1) के प्रारंभ पर विद्यमान है तो ऐसे प्रारंभ के ठीक आगामी साठ दिन के भीतर किया जाएगा;
(ख) यदि संगम या निकाय ऐसे प्रारंभ के पश्चात् बनाया जाता है तो उसके बनाए जाने की तारीख के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर किया जाएगा।
(3) उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर संगम या निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के (चाहे ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव के रूप में जाना जाता है या किसी अन्य पदाभिधान से जाना जाता है) हस्ताक्षर होंगे और वह आयोग के सचिव को पेश किया जाएगा या ऐसे सचिव को रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा।
(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात :–
(क) संगम या निकाय का नाम;
(ख) वह राज्य जिसमें उसका प्रधान कार्यालय स्थित है:
(ग) वह पता जिस पर उसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं;
(घ) उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम:
(ङ) उसके सदस्यों की संख्या और यदि उसके सदस्यों के प्रवर्ग हैं तो प्रत्येक प्रवर्ग की संख्या;
(च) क्या उसके कोई स्थानीय एकक हैं, यदि हैं, तो किन स्तरों पर हैं;
(छ) क्या संसद् के या किसी राज्य विधान–मंडल के किसी सदन में किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता हैय यदि किया जाता है तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या।
(5) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संगम या निकाय के, ज्ञापन या नियमों और विनियमों की चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, एक प्रति होगी और ऐसे ज्ञापन या नियमों और विनियमों में यह विनिर्दिष्ट उपबंध होगा कि वह संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा

PTS Kherwara, Udaipur

समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।

(6) आयोग संगम या निकाय से ऐसी अन्य विशिष्टियां मंगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

(7) आयोग अपने कब्जे में की यथापूर्वोक्त सभी विशिष्टियों और कोई अन्य आवश्यक और सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात् और संगम या निकाय के प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या तो उस संगम या निकाय को इस भाग के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने का, या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न करने का, विनिश्चय करेगा और आयोग अपना विनिश्चय ऐसे संगम या निकाय को संसूचित करेगा:

परंतु कोई संगम या निकाय इस उपधारा के अधीन राजनैतिक दल के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन या नियम और विनियम उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं।

(8) आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) किसी संगम या निकाय के यथापूर्वोक्त राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् उसके नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते या किन्हीं अन्य तात्त्विक विषयों में कोई तब्दीली आयोग को अविलंब संसूचित की जाएगी।

29ख. राजनैतिक दलों का अभिदाय स्वीकार करने का हकदार होना कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राजनैतिक दल, सरकारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा उसे स्वेच्छ्या प्रस्थापित अभिदाय की कोई भी रकम स्वीकार कर सकेगा।

परन्तु कोई भी राजनैतिक दल विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित किसी विदेशी स्रोत से कोई अभिदाय स्वीकार करने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण इस धारा और धारा 29ग के प्रयोजनों के लिए,

(क) "कंपनी" से धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) "सरकारी कंपनी" से धारा 617 के अर्थातर्गत कोई कंपनी अभिप्रेत है; और

(ग) "अभिदाय" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293क में है और इसके अंतर्गत किसी राजनैतिक दल को किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित कोई संदान या अभिदान भी है; और

(घ) "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (31) में है किन्तु इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी और सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति नहीं है।

29ग. राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा– (1) किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात्ः–

(क) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक का अभिदाय;

(ख) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सरकारी कंपनियों से भिन्न कंपनियों से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक अभिदाय ।

स्लिप...
.

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए।

PTS Kherwara, Udaipur

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट, किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष की उसकी आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व, निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) जहां किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां, ऐसा राजनैतिक दल, आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के अधीन किसी कर राहत का हकदार नहीं होगा ।

125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करना– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

125क. मिथ्या शपथपत्र, आदि फाइल करने के लिए शास्ति कोई अभ्यर्थी– जो स्वयं या अपने प्रस्थापक के माध्यम से, किसी निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से, यथास्थिति, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन परिदत्त अपने नामनिर्देशन पत्र में या धारा 33 क की उपधारा (2) के अधीन परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित अपने शपथ पत्र में,

(i) धारा 33क की उपधारा
(1) से संबंधित सूचना देने में असफल रहेगा या

(ii) ऐसी मिथ्या सूचना देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या हैय या

(iii) कोई सूचना छिपाएगा,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को,
जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से श्एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवे, स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई कार्य न करेगा, अर्थात् :–

(क) मतों के लिए संयाचना;

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत को याचना करना;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना;

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना; और

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा– (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र ' [अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी

PTS Kherwara, Udaipur

कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए,

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध– (1), जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा और धारा 20ख) के प्रयोजनों के लिए ष्बूथ का बलात् ग्रहणष के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् **:–**

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है**;**

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उसके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना) **:**

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना **:**

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता हैय

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

135ख. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी– (1) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

PTS Kherwara, Udaipur

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।

135ग. मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना (1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।,

136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां– (1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति–

(क) कोई नामनिर्देशन–पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगाय अथवा

(ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिहन या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक–मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगाय अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगाय, अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगारू अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा.

तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति**:**

(क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगाय

PTS Kherwara, Udaipur

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ''' अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित होगा।
(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।,

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 12- Crime Regarding Public Servants (Day-7.7) (Session-46)
Paper- 5A-Forensic Science- (Session-01)

एसीबी ट्रैप मामला

भ्रष्टाचार समाज की जड़ों को खोखला करता है और जब यह कानून के रखवालों के बीच पहुँचता है, तो आम नागरिक का राज्य व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रैप की कार्रवाइयाँ पुलिस विभाग के लिए एक गंभीर आत्मनिरीक्षण का विषय हैं।

1. भ्रष्टाचार के गंभीर खतरे

एक पुलिसकर्मी के लिए भ्रष्टाचार सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि यह उसके पद की गरिमा और समाज के साथ विश्वासघात है। इसके मुख्य खतरे निम्नलिखित हैं:

जनता के विश्वास का टूटना: जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो आम आदमी अपनी शिकायत लेकर थाने जाने से डरने लगता है। पुलिस और जनता के बीच की खाई गहरी हो जाती है।

एसीबी ट्रैप का कलंक और करियर की तबाही: एसीबी ट्रैप में पकड़े जाने पर न केवल तुरंत निलंबन या बर्खास्तगी होती है, बल्कि वर्षों की कमाई प्रतिष्ठा और पेंशन के लाभ भी खत्म हो जाते हैं।

पारिवारिक और सामाजिक अपमान: भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने पर पुलिसकर्मी के परिवार, बच्चों और रिश्तेदारों को समाज में भारी मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

अपराधियों के हौसले बुलंद होना: भ्रष्ट पुलिसकर्मी अनजाने में या पैसों के लालच में अपराधियों को संरक्षण देने लगते हैं, जिससे इलाके में कानून–व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है।

मानसिक तनाव और आंतरिक भय: रिश्वत का पैसा कभी शांति नहीं देता। भ्रष्ट आचरण में लिप्त कर्मी हमेशा विभागीय जांच, सीक्रेट इनक्वायरी या एसीबी की रेड के डर में जीता है।

2. ACB ट्रैप की प्रक्रिया को समझना

जागरूकता का पहला कदम यह जानना है कि एसीबी कैसे काम करती है। पुलिसकर्मियों को यह समझना होगा कि आधुनिक तकनीकी के दौर में रिश्वत लेना पूरी तरह आत्मघाती है:

शिकायतकर्ता का सत्यापन: जब कोई नागरिक रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी से करता है, तो एसीबी तुरंत कार्रवाई नहीं करती। पहले वे शिकायतकर्ता को रिकॉर्डर देकर रिश्वत की मांग का सत्यापन करते हैं।

फिनोलफ्थलीन पाउडर का उपयोग: ट्रैप के दौरान नोटों पर एक विशेष रासायनिक पाउडर लगाया जाता है। जैसे ही आरोपी उन नोटों को छूता है और बाद में उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए जाते हैं, पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। यह अदालत में अचूक वैज्ञानिक सबूत बनता है।

डिजिटल और वॉयस एविडेंस– आज के समय में कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चौट और छिपे हुए कैमरों के जरिए रिश्वत की मांग को रिकॉर्ड करना बेहद आसान हो गया है। अदालतें इन डिजिटल साक्ष्यों को बहुत गंभीरता से लेती हैं।

3. भ्रष्टाचार से निपटने और खुद को बचाने के तरीके

पुलिस विभाग में रहते हुए भ्रष्टाचार से खुद को दूर रखने और इसके खिलाफ खड़े होने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाना जरूरी है:

PTS Kherwara, Udaipur

अ) व्यक्तिगत और नैतिक स्तर पर– 'No' कहने का साहस**:** यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी या बिचौलिया आपको किसी गलत काम या पैसे के लेन–देन में शामिल होने के लिए उकसाता है, तो सीधे और स्पष्ट शब्दों में मना करें।

अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना: अधिकांश भ्रष्टाचार अत्यधिक भौतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण होता है। पुलिस की नौकरी एक सम्मानजनक वेतन देती हैय अपनी जीवनशैली को उसी दायरे में रखना सबसे सुरक्षित कवच है।

लिखित आदेशों की मांग: यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी किसी मामले में अनुचित दबाव बनाता है, तो हमेशा लिखित आदेश ॅतपजजमद व्तकमते) की मांग करें। मौखिक निर्देशों के आधार पर की गई गलत कार्रवाई में फंसने पर जिम्मेदारी आपकी ही होगी।

ब) प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक स्तर पर – दलालों और बिचौलियों का प्रवेश निषेध**:** थानों में सक्रिय रहने वाले कथित "मुखबिरों" या "बिचौलियों" (जो खुद को पुलिस का करीबी बताते हैं) को थानों से दूर रखें। अक्सर यही लोग जनता से पुलिस के नाम पर पैसे ऐंठते हैं और पुलिस को ट्रैप करवाते हैं।

पारदर्शी कार्यप्रणाली: शिकायतों के निपटारे की एक निश्चित समय–सीमा तय हो। जब काम बिना किसी देरी और पारदर्शिता से होगा, तो जनता को रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

सीसीटीवी कैमरों की निगरानी– थानों के स्वागत कक्ष, अनुसंधान कक्ष और मुख्य परिसरों में सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू रहने चाहिए। यह न केवल भ्रष्टाचार को रोकता है, बल्कि पुलिसकर्मियों पर लगने वाले झूठे आरोपों से भी उनकी रक्षा करता है।

स) कानूनी प्रावधानों की जानकारी– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम1988)– हर पुलिसकर्मी को पता होना चाहिए कि रिश्वत लेना ही नहीं, बल्कि रिश्वत की मांग करना भी इस कानून के तहत एक गंभीर और गैर–जमानती अपराध है, जिसमें न्यूनतम 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

सहयोगियों की जवाबदेही: यदि कोई साथी कर्मचारी रिश्वत ले रहा है और आप उसे जानते हुए भी चुप हैं, तो कानूनन आप भी उस अपराध के सहभागी माने जा सकते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 12- Crime Regarding Public Servants (Day-7.7) (Session-46)
Paper-9-B-Functioning of Police Station and Duties- (Session-02)

1. पुलिस स्टेशन के मुख्य कर्तव्य और कार्य–

एक पुलिस स्टेशन का मूल काम इलाके में शांति बनाए रखना और अपराधियों में कानून का डर पैदा करना है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- **अपराधों की रोकथाम:** इलाके में लगातार गश्त करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और ऐसी परिस्थितियाँ बनने से रोकना जिससे अपराध हो सके।
- **कानून और व्यवस्था बनाए रखना:** त्योहारों, रैलियों, विरोध–प्रदर्शनों या किसी भी बड़े आयोजन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना और शांति बनाए रखना।
- **शिकायत दर्ज करना:** जब भी कोई पीड़ित थाने आए, उसकी शिकायत सुनना और नियमानुसार FIR या NCR और शिकायत दर्ज करना।
- **मामलों की जांच:** दर्ज हुए मामलों की गहराई से जांच करना, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान लेना और अपराधियों को पकड़ना।
- **चार्जशीट दाखिल करना:** जांच पूरी होने के बाद समय सीमा के भीतर अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) पेश करना ताकि आरोपी को सजा मिल सके।
- **अदालती आदेशों का पालन:** अदालत द्वारा जारी किए गए समन, वारंट या कुर्की के आदेशों को तामील कराना।
- **सुरक्षा और वीआईपी ड्यूटी:** अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों (VVIPs, बैंकों, धार्मिक स्थलों) की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **तथ्य और रिकॉर्ड रखना–** अपराधियों का इतिहास, केस डायरी और थाने के अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपडेट रखना।

2. आम लोगों (जनता) से निपटने के तरीके– थाने आने वाला हर आम इंसान या तो किसी मुसीबत में होता है या डरा हुआ होता है। ऐसे में पुलिस का व्यवहार ही पुलिस की छवि तय करता है।

- **सहानुभूतिपूर्ण और विनम्र व्यवहार:** शुरुआत हमेशा ष्नमस्कार, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?" जैसे शब्दों से होनी चाहिए। सामने वाले की बात को बिना बीच में टोके पूरा सुनें।
- **बिना भेदभाव के सुनवाई:** शिकायतकर्ता अमीर हो या गरीब, उसकी जाति, धर्म या जेंडर को देखे बिना निष्पक्षता से उसकी बात सुनी जानी चाहिए।
- **सख्त लेकिन विनम्र:** अगर कोई व्यक्ति गुस्से में या उत्तेजित है, तो खुद शांत रहें। अपनी आवाज धीमी रखें लेकिन अपनी बात में स्पष्टता रखें।
- **महिला और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता–** महिला शिकायतकर्ताओं से बात करते समय महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। बच्चों के मामलों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) के नियमों का सख्ती से पालन करें।
- **प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना:** आम लोगों को अक्सर कानूनी दांव–पेंच समझ नहीं आते। उन्हें सीधे शब्दों में समझाएं कि उनकी शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होगी और उन्हें रिसीविंग (पावती) जरूर दें।
- **दलालों से दूरी–** थाने में आने वाले दलालों या बिचौलियों को बढ़ावा न दें। पीड़ित से सीधे बात करें ताकि उसका पुलिस पर भरोसा बढ़े।

PTS Kherwara, Udaipur

3. मीडिया (पत्रकारों) से निपटने के तरीके– मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पुलिस की कार्रवाई को जनता तक पहुँचाता है। लेकिन संवेदनशील मामलों में मीडिया से डील करते समय बहुत सावधानी बरतनी होती है।

- **निर्धारित प्रवक्ता:** हर मामले में हर कोई बयान न दे। थाने के प्रभारी या जिले के जनसंपर्क अधिकारी को ही मीडिया को ब्रीफ करने का अधिकार होना चाहिए।
- **तथ्यों पर आधारित बात:** मीडिया के सामने कभी भी अनुमान या अपनी व्यक्तिगत राय न रखें। जो रिकॉर्ड पर है और जो तथ्य पूरी तरह साफ हैं, सिर्फ वही बताएं।
- **'ऑफ द रिकॉर्ड' से बचें:** पत्रकारों से बात करते समय यह मानकर चलें कि सब कुछ 'ऑन द रिकॉर्ड' है। अनौपचारिक बातचीत में कही गई बातें भी कभी–कभी हेडलाइन बन जाती हैं और मामले को बिगाड़ सकती हैं।

गोपनीयता का सम्मान:
- रेप पीड़िता या बच्चों की पहचान कभी भी उजागर न करें।
- जब तक जांच चल रही हो, रणनीतिक जानकारियां (जैसे– पुलिस कहाँ रेड मारने वाली है) मीडिया को न बताएं।
- शांत और पेशेवर रहें कभी–कभी पत्रकार तीखे या उकसाने वाले सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे में गुस्सा होने या "नो कमेंट्स" कहकर भागने के बजाय पेशेवर तरीके से कहें: "इस मामले की जांच अभी चल रही है, जैसे ही कोई ठोस अपडेट आएगा, हम आपको ब्रीफ करेंगे।"
- प्रेस नोट जारी करना– किसी बड़े मामले में भ्रम से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर दिया जाए, ताकि सभी मीडिया चौनलों तक एक जैसी और सटीक जानकारी पहुँचे।

1. पुलिस स्टेशन पर संतरी ड्यूटी आरपीआर 1948 नियम–202, 203

(क) सन्तरी के कर्तव्य और थाने पर आने वाले व्यक्तियों के साथ सदाचार

(1) पुलिस थाने में संतरी की ड्यूटी –
राजस्थान पुलिस नियम 1948 के नियम 202 व 203 के अन्तर्गत पुलिस थानो पर तैनात संतरी की ड्यूटी निम्न प्रकार से होगी–
नियम 202 :– हर थाने पर रात व दिन में एक संतरी रहेगा उसका यह कर्तव्य होगा कि हवालातियों, खजाने की पेटी, मालखाना और थाने पर कुल सामान की निगरानी करेगा।
नियम 203 :– मालखाने के दरवाजों और पेटियों के लिए मजबूत ताले दिये जायेगें जिनकी चाबिया इंचार्ज के पास रहेगी और हवालात की चाबी संतरी के पास रहेगी।
(2) थाने पर आने वाले व्यक्तियों के साथ सदाचार –
आपके व्यक्तित्व का दर्पण शिष्टाचार है। शिष्टता का अभिप्राय है. शिष्टतापूर्ण व्यवहार। मीठी वाणी, मधुर व्यवहार तथा शालीन स्वभाव शिष्टाचार के मुख्य तत्व हैं, जो आपको प्रशंसा का पात्र बनाने के साथ ही पग–पग पर सफलता दिलाने में सहायक हो सकते है। प्रकृति प्रदत्त प्रसन्नता, मुस्कराहट एवं नम्रता शिष्ट व्यवहार वे ऐसे सूत्र है, जो जीवन की सार्थक सफलता के लिए सोपान का काम करते हैं।
(3) रिसेप्शन रूम में कानि० की ड्यूटी तथा ड्यूटी जब एस.एच.ओ. थाने से बाहर हो (दोनो ही समय की ड्यूटी) –

PTS Kherwara, Udaipur

रिसेप्शन रूम में तैनात कानि० को थानाधिकारी की थाने पर गैरमौजूदगी की स्थिति में किसी अपराध की सूचना कानिस्टेबल को प्राप्त हो तो कानिस्टेबल को निम्न कार्य करने चाहिए–

1. प्राप्त सूचना के बारे में विश्वस्त होने के बाद थाने पर मौजूद इन्चार्ज अधिकारी को इस सूचना से अवगत करायें।
2. थानाधिकारी यदि मुख्यालय से बाहर नहीं है और मुख्यालय के आस पास है तो उन्हे भी इस आपराधिक सूचना से अवगत करायें तथा थानाधिकारी से प्राप्त निर्देशों की पालना करें।
3. थाने पर मौजूद इन्चार्ज अधिकारी से समन्वय स्थापित कर इस आपराधिक सूचना पर कार्य करें।
4. उपलब्ध जाप्ते का समुचित उपयोग किया जावे।
5. थानाधिकारी के आगमन पर अब तक इस सूचना पर किये गये कार्य से तुरन्त उन्हें अवगत करायें व इसके पश्चात अग्रिम कार्य उनके आदेश पर करें।
6. प्राप्त आपराधिक सूचना पर पूर्ण विवेक व उत्साह से कार्य करें।
7. आपराधिक सूचना पर मौजूद इन्चार्ज अधिकारी व जाप्ते के साथ कार्य करें व थानाधिकारी के आने के बाद ही काम करेगें यह सोचकर समय व्यर्थ नहीं करें।

शिष्टाचार एक सतत सीखने की प्रक्रिया हैः–

इसके लिए किसी औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। यही वह गुण है, जिससे शिष्ट व्यक्ति सबका प्रिय होता है। परिवार, समाज और पुलिस विभाग में उसकी सराहना होती है। घर और बाहर सर्वत्र वह अपने मधुर व्यवहार से सम्मोहन की सुरभि बिखेरता रहता है। व्यक्तित्व का निखार होता है। मनुष्यों के लिए भाषा और वाणी ईश्वर की अनुपम देन है। इन दोनों के प्रयोग से मानव के मौलिक गुण शिष्टाचार–व्यवहार को संस्कारित एवं संवर्द्धित करने का प्रयास संभव है।

शिष्टाचार के मूलभूत नियमः–

प्रत्येक पुलिसकर्मी उलझनों को पार करते हुए ऐसे रास्ते पर चले जिस पर बुद्धिमान लोग चलते है। इसके लिए यह आव यक है कि वह श्रेष्ठ नियमों का पालन करे। सदा सत्य बोले और बुरे लोगों तथा व्यसनों से दूर रहे। आम नागरिक की सेवा करे। अपराधियों से घृणा के बदले उन्हें सही रास्ते पर चलने में सहयोग दे जिससे कि वे भी समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके और राष्ट्र निर्माण में पूर्ण सहयोग कर सके। प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यवहार

कुशलता इसी में है कि वह समझदारी से काम लेते हुए आम नागरिक से मिल जुलकर रहे तथा असहाय, निर्धन, दलित और समाज के कमजोर वर्गों की सच्चे दिल से सेवा करे। प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने मन में किसी के प्रति प्रतिरोध व दुश्मनी नहीं रखे तथा जाति और धर्म की भावना किसी भी रूप में अपने मन में न रखे और न ही अपने व्यवहार में इसे दर्शाये। जाति और धर्म के आधार पर सोचना, व्यवहार करना तथा मेल मिलाप रखना अनुशासनहीनता मानी जाती है। पुलिसकर्मी के विचार उदार हों तथा प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने जीवन में राष्ट्रीयता, समानता तथा सद्व्यवहार का उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए। वह जब भी किसी कार्यवश कहीं भी जाये तो उस का प्रयास यह होना चाहिये कि वह गरीब, असहाय, दलित और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों से सम्पर्क कर उन की दुख–दुविधा का समाधान करे।

टेलीफोन पर बातचीत :–

पुलिसकर्मी द्वारा फोन उठाते ही श्नमस्कारश शब्द का प्रयोग करते हुये यह अव य बतायें कि आप कौन से थाने ६ चौकी ६ कार्यालय से बोल रहे हैं तथा आप अपना नाम व पद भी अव य बतायें। टेलीफोन करने वाले व्यक्ति द्वारा कयास लगाने को नहीं कहें कि बताओ मैं कौन हूं। यदि पुलिसकर्मी को स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति को टेलीफोन करना पड़े तो इस बात काध्यान आप रखें कि आपसे बात करने वाला व्यक्ति आपको देख नहीं रहा है, इसलिए उसे अपना नाम और फोन करने का अभिप्राय बताएं। फोन पर बात करते समय यदि आप आवाज नहीं पहचान पा रहे है, तो शिष्ट और सौम्य भाषा

PTS Kherwara, Udaipur

में उसका नाम पूछें। लम्बी चौड़ी बातचीत के बजाए संक्षिप्त और काम की ही बात करें। बातचीत करते समय चीखने–चिल्लाने या बहस करने की बजाए धीमी एवं सुस्पष्ट आवाज में बात करें। कई लोग फोन पर काम की बजाए फालतू की बातचीत करने बैठ जाते है जो कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता मानी जाती है। टेलीफोन करते वक्त समय का भी ध्यान रखें क्योकि हो सकता है कि उस दौरान कोई आवश्यक फोन आ रहा हो। अपने टेलीफोन के पास एक डायरी व पेनध्पेंसिल रखें, ताकि कुछ लिखने की जरूरत पड़ने पर आपको इधर–उधर दौड़ना न पड़े। यदि आप थाने पर नहीं हैं, तो अधीनस्थ पुलिस कर्मी को सिखाइए कि वे फोन पर बात करने वाले का नाम, पता, उसका नम्बर और संदेश पूछ कर नोट कर लें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण या बहुत व्यस्त व्यक्ति को फोन कर रहे हैं, तो उसकी सुविधानुसार व शिष्टता पूर्ण तरीके से ही फोन करें। यदि आप किसी एसटीडी बूथ से बात कर रहे हैं, तो धीमी आवाज में बोलें, ताकि दूसरे आप की बातचीत न सुन पाएं। बातचीत भी संक्षिप्त करें। कभी भी फोन पर किसी से मजाक या अशिष्ट शब्दोंध्भाषा का प्रयोग न करें।

थाने पर आने वाले व्यक्तियों एवं परिवादियों के साथ व्यवहार :–

शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार–पुलिस के लिए शिकायतकर्ता या परिवादी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता हैं। शिकायतकर्ता के कई रूप हो सकते है जैसे स्त्री, पुरुष, बच्चा, स्वयं अपराधी, क्षतिग्रस्त व्यक्ति, अमीर–गरीब, साधारण एवं प्रभावशाली व्यक्ति आदि। शिकायतकर्ता या परिवादी द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है प्रभावशाली व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस जल्दी अनुसंधान प्रारंभ कर देती है जबकि साधरण व्यक्तियों की शिकायत पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। उसे डरा धमका कर वापस भेज देती है कई बार तो अत्यधिक रूप से डरा दिया जाता है। जिससे वह थाने में आने से भी डरता है। शिकायतकर्ता की बात सुनने के समय उससे एवं अपराधी से रिश्वत भी स्वीकार की जाती है। उसका आर्थिक शोषण भी किया जाता है। ये सब ऐसे कारण हैं जो पुलिस एवं जनता के आपसी सम्बन्धों में रूकावट डालते हैं। क्योंकि वह पहले ही आर्थिक या शारीरिक रूप से पीड़ित है। अतः पुलिस अधिकारी को चाहिए कि अपनी छवि सुधारने के लिए शिकायतकर्ता (परिवादी) के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने से पूर्व उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। अतःशिकायतकर्ता (परिवादी) से निम्नलिखित व्यवहार करने चाहिए रू–

1. पुलिस थाने में आने वाले परिवादी को उचित सम्मान देना चाहिए।
2. ऐसे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि उनके मन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो सके।
3. ऐसे व्यक्ति स्वयं ही दुर्घटना से परेशान होते हैं, अतः उन्हें सांत्वना देनी चाहिए।
4. जिस प्रकार का अपराध हो उसी प्रकार का अन्वेषण कार्य प्रारम्भ करना चाहिए।
5. उसकी शिकायत ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए ताकि वह पुलिस को अपना सहायक समझे।
6. ऐसे व्यक्तियों से सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए ताकि उनमें यह भावना पैदा की जा सके कि उनकी शिकायत पर उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
7. शिकायत के लिए आने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
8. उन व्यक्तियों की जहाँ तक हो सके पूरी सहायता करनी चाहिए। पुलिस के व्यवहार में मधुरता, शिष्टता और सहनसील ता भी होनी चाहिए।
9. भेदभाव का बयान किए बिना सभी समाज के नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ प्रत्यक्ष एवं अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
10. ऐसे व्यक्तियों के साथ भूलकर भी मारपीट नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह गैर कानूनी हैं। इससे आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती हैं।
11. यदि कोई व्यक्ति झूठी शिकायत लेकर आता है तो जांच करने के पश्चात कानूनी कार्यवाही करें झूठी शिकायत के आधार पर किसी को तंग नहीं किया जाना चाहिए।

PTS Kherwara, Udaipur

12. किसी प्रकार की रिश्वत न लें क्योंकि ऐसा करने से पुलिस की छवि धूमिल होने से बच सकती है। अतः एक शिकायतकर्ता (परिवादी) के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अतः शिकायतकर्ता (परिवादी) एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अपराधों की रोकथाम में भी यह काफी सहायता करता है। इसलिए उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। उसकों न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास करना चाहिए।

(ख) गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ व्यवहार एवं पुलिस हिराशत में मृत्यु के कारण व निवारण के उपाय रू–

(प) गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के साथ व्यवहार

1. किसी भी गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के साथ संतरी को दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
2. किसी भी गिरफ्तार शुदा शुदा व्यक्ति के साथ कोई गाली गलौंच व मारपीट नहीं करनी चाहिए ।
3. गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को नित्य कर्म समय व आवश्यकतानुसार कराये जायें।
4. गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी शिकायत पर निवारण के लिये तुरंत रोशनी व हवा का ध्यान रखे तथा साफ सुथरी दरी व कम्बल की व्यवस्था की जाये।
5. गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को प्रातःकालीन व सांयकालीन भोजन व पानी समय पर दे।
6. गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायत पर निवारण के लिए तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करें ।
7. हवालात में पर्याप्त रोशनी व हवा का ध्यान रखे तथा साफ सुथरी दरी व कम्बल की व्यवस्था की जावे।
8. गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को जिस हवालात में रखा जावे उसे साफ सुथरा रखा जावे। गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों के साथ व्यवहार के संदर्भ में आरपीआर 1948 के नियम 256 व 257 में भी वर्णन किया गया है।

(पप) गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों के मानवाधिकारों का संरक्षण :–

संदिग्ध व्यक्तियों एवं दोषी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कानून के अन्तर्गत अनेक कानूनी प्रावधान किये गये हैं। पुलिस का कार्य संदिग्ध एवं दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करना है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध ना हो जायें। किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार न किया जावे तथा गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जावे।

1. हिरासत में मारपीट न तो करें न किसी के द्वारा करने दें।
2. हिरासत के दौरान व्यक्ति के खाने–पीने का ध्यान दें।
3. मानवाधिकारों के बारे में संवेदनसील रहें।
4. परिवार जन से मिलने दें।
5. पसन्द के वकील से नियमानुसार मिलने का अवसर दें।
6. जब तक न्यायालय दोषी न माने तब तक निर्दोष मानें।
7. अपराधी होने के साथ साथ वह एक मानव है अतः मानवीय दृष्टिकोण रखें।
8. गाली गलौच न करें सभ्यता से पेश आएं।

आर०पी०आर० 1948 के नियम 256 जब तफतीश करते हुये कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाये तो अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उससे पूछेगा कि उसको पुलिस के द्वारा कोई दुर्व्यवहार की शिकायत तो नहीं है और सवाल–जबाब दोनों केस डायरी में दर्ज करें गा। यदि दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जावे तो अनुसंधान अधिकारी इस आरोप की जांच करें गा या करायेगा व इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को देगा।

PTS Kherwara, Udaipur

आर०पी०आर० 1948 के नियम 257. गिरफ्तार किये हुये व्यक्ति की तलाशी दो गवाहों की मौजूदगी में ली जानी चाहिए जिनका सम्बन्ध पुलिस से ना हो प्रत्येक जब्त किये हुये माल पर निशान लगाना चाहिए व सूची में दर्ज करना चाहिए।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में न्यायिक निर्णयः–

1. सीला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) 2 एस.सी.सी.96 मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धरा 54 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे डॉक्टरी जांच का अधिकार है।

2. अरविन्द सिंह बग्गा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 1995 (1) एससीजे 173 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने महिला गवाह को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए जाने तथा गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखने और इस दौरान उसके साथ सख्ती बरतने के संबन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि उन सभी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने की तत्काल कार्रवाई की जाए जिन्होंने उक्त महिला गवाह के साथ इस प्रकार का गैर कानूनी बर्ताव किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को यह निर्देश भी दिया कि निधि को 10,000 रूपये तथा बिना किसी दोष के गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखे जाने और इस प्रकार बेइज्जत किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों में से प्रत्येक को पांच–पांच हजार रूपये हर्जाने के रूप में दिए जाएं।

3. अनूप सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, एआईआर 1995 एससी 1941–मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि थाने में किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस थाने का प्रभारी अधिकारी अपने इस आपराध्कि कृत्य की जिम्मेवारी कांस्टेबलों, जो वास्तव में मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे, पर डालकर इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता है कि वह स्वयं थाने में मौजूद नहीं था और इस प्रकार के आपराधिक कार्य को उस समय थाने में मौजूद कांस्टेबलों द्वारा किया गया है। इस प्रकार इस मुकदमे में दो कांस्टेबलों के साथ पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी (अनूप सिंह. एएसआई) को भी दंडित किया गया है।

4. डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 (1) मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में दिशा–निर्देश दिए है जिन पर हिरासत के दौरान हिंसा का प्रयोग किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश कार्यकारी अध्यक्ष, कानूनी सहायता सेवा, पश्चिम बंगाल द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिश को लिखे गए उस पत्र के संदर्भ में दिया जो कार्यकारी अध्यक्ष ने विभिन्न समाचार–पत्रों में हिरासत के दौरान होने वाली हिंसा से संबंधित छपी खबरों के प्रसंग में अपने पत्रो में लिखे थे। ये दिशा–निर्देश इस प्रकार हरू–

(प) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने और उससे पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी के पास उसके नाम और पद की स्पष्ट पहचान जताने वाली व साफ–साफ लिखाई वाली स्पष्ट नामपट्टी होनी चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ करने वाले कर्मी का पूरा–पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।

(पप) गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय का एक मीमो तैयार करें गा और इस मीमो पर कम से कम किसी ऐसे एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे जो या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो या उस स्थान का सम्मानित व्यक्ति को जहाँ गिरफ्तारी की गई है। इस मीमो पर गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होने चाहिए और इस पर गिरफ्तारी का समय व तारीख दर्ज होने चाहिए।

(पपप) गिरफ्तार किए गए पुलिस थाने में हिरासत में रखे गए या पूछताछ के लिए पूछताछ केन्द्र अथवा किसी अन्य लॉक–अप में रखे गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह कम से कम एक मित्र

PTS Kherwara, Udaipur

या अपने परिचित किसी ऐसे सम्बन्धी से सम्पर्क स्थापित कर सके जो उसका भला करने में सक्षम हो। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सूचित किया जाना चाहिए। उसे यह भी बताया जाना चाहिए कि उसे किस
स्थान पर हिरासत में रखा गया है। जब गिरफ्रतारी के मीमो को प्रमाणित करने वाला व्यक्ति की गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मित्रा या संबंधी हो तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है।

(पअ) पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय तथा स्थान और हिरासत में रखे जाने वाले स्थान के विषय में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्रों या सम्बन्धी को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए। यदि वह मित्र या सम्बन्धी उस जिले या शहर से बाहर रहता है जहाँ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटों के अंदर उस जिले में मौजूद कानूनी सहायता संगठन अथवा संबंन्धित क्षेत्र के थाने के माध्यम से गिरफ्तारी की सूचना तार द्वारा भेजनी चाहिए।
(अ) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत में रखने के तुरन्त बाद उसके इस अधिकार से परिचित कराया जाना चाहिए कि उसे किसी को भी अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।
(अप) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसे हिरासत में रखने के स्थान को डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए और इस स्थान की जानकारी उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसे गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के विषय में सूचित किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति जिन पुलिसकर्मियों की हिरासत में है उन पुलिस कर्मियों के नाम तथा अन्य विवरण भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्रों या सम्बन्धी को दिए जाने चाहिए।

(अपप) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अनुरोध करें तो उसे लगी छोटी या बड़ी चोटों की डॉक्टरी जांच कराने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसके शरीर पर यदि कुछ चोटें हों तो उन्हें भी दर्ज किया जाना चाहिए। निरीक्षण मीमो पर पुलिस अधिकारी तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए और इस मीमो की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए।
(अपपप) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की डॉक्टरी जांच उसे हिरासत में रखने के 48 घंटों के अंदर किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा या सम्बन्धित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को सभी जिलों और तहसीलों के लिए इस प्रकार का एक पैनल तैयार करना चाहिए।
(पग) उपरोक्त वर्णित गिरफ्तारी के मीमो सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां रिकार्ड हेतु इलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।
(ग) गिरफ्तारकिए गए व्यक्ति को पूरी पूछताछ के दौरान नहीं लेकिन पूछताछ के दौरान कम से कम कुछ समय के लिए अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
(गप) प्रत्येक जिला और राज्य मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जहाँ गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 12 घंटों के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में रखने के स्थान तथा गिरफ्तारी से संबन्धित अन्य जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। यह जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में स्पष्ट रूप से नोटिस बोर्ड पर दर्शायी जानी चाहिए।
(गपप) ऊपर बताई गई बातों का पूरा–पूरा पालन करने में असफल रहने वाले अधिकारी पर न केवल विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए बल्कि उसे न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित किया जाना चाहिए और उसके विरूद्ध (देश के उस उच्च न्यायालय में जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हो, न्यायालय की अवमानता का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।)
ये प्रावधान संवैधानिक तथा अन्य विधिक सुरक्षाओं के अलावा है तथा उनसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा के संबंध में अदालतों द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले अन्य विभिन्न निर्देशों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होता है।

PTS Kherwara, Udaipur

इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया है कि पीड़ित व्यक्ति को अदालत द्वारा निर्धारित हर्जाना भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए और यदि किसी मामले में पीड़ित व्यक्ति को मुकदमे की हर्जाने के रूप में कुछ राशि पहले अदा की जा चुकी हो तो अंतिम हर्जाना देते समय पहले अदा की गई राशि को समायोजित किया जाना चाहिए।

हथकड़ी लगाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मुकदमों में हथकड़ी कब लगाई जानी चाहिए और कब नहीं, इस पर अपने निर्णय दिए हैंरू–

म

1. हथकड़ी कब लगाई जानी चाहिए ?

प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1980 एससीसी 1535 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अभियुक्त के साथ चलने वाले पुलिस दल को कैदी को तभी हथकड़ी लगानी चाहिए जब वह खतरनाक और दुःसाहसी हो या उसके हिरासत से भागने की आशंका हो या भागने की कोई चाल चलने वाला हो। कैदी के साथ चलने वाले पुलिस दलको अपनी कार्यवाही कैदी के पूर्व आचरण के अनुसार निर्धारित करनी चाहिए। इसके अलावा सुनील गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश सरकार, 1990 एससीसी सीआर–440 मुकदमे में यह निर्णय दिया है कि अभियुक्त को लाने–ले जाने वाले अधिकारी को विचाराधीन कैदी को हथकड़ी लगाए जाने के कारणों को स्पष्ट रूप से रिकार्ड करना चाहिए और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, इस सम्बन्ध में न्यायालय को सूचित करना चाहिए, ताकि न्यायालय परिस्थितियों पर विचार करके एस्कोर्ट दल को आवश्यक निर्देश जारी कर सके।

2. सामान्यतः हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए

सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर–1978 एससी 1675 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रूटीन किस्म के मामलों में हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत किसी विचाराधन कैदी को भी चलने–फिरने की न्यूनतम स्वतंत्रता प्राप्त है जिसे हथकड़ी डालकर या किसी अन्य विधि से क्रूरतापूर्वक बाधित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, एआईआर 1980 एससी–1535 मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय था कि किसी भी व्यक्ति को इस आधर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती कि उस गंभीर अपराध का आरोप है और इससे एस्कोर्ट दल को सुविधा होती है। किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने का अधिकार देने से सम्बन्धित विनियमों 11 तथा मैनुअलों में भारतीय संविधन के अनुच्छेद 14 में सामान्य स्थितियों में विचाराधीन कैदी को हथकड़ी लगाना या ऐसा ही कोई अन्य उपाय करना गैर कानूनी बताया गया है। इसी मुकदमें में प्रेम शंकर शुक्ला सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हथकड़ी लगाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए इसके स्थान पर कुछ अन्य विकल्प अपनाए जाने चाहिए। जैसे रू–

(प) अभियुक्त के साथ चलने वाले पुलिस दल में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाना।

(पप) यदि आवश्यक हो तो एस्कार्ट दल को हथियार से लैस करना।

(पपप) एस्कोर्ट दल को विशेष प्रशिक्षण देना।

(पअ) कैदियों को किसी सुरक्षित वाहन में लाना ले लाना।

गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों के मानवाधिकारों का संरक्षण –

संदिग्ध व्यक्तियों एवं दोषी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कानून के अन्तर्गत अनेक कानूनी प्रावधान किये गये हैं। पुलिस का कार्य संदिग्ध एवं दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करना है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि उसके विरूद्व लगाये गये आरोप सिद्ध ना हो जायें। किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार न किया जावे तथा गिरफ्तार शुदा व्यक्ति के मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जावे।

PTS Kherwara, Udaipur

1. हिरासत में मारपीट न तो करें न किसी के द्वारा करने दें।
2. हिरासत के दौरान व्यक्ति के खाने–पीने का ध्यान दें।
3. हिरासत के दौरान व्यक्ति के खाने–पीने का ध्यान दें।
4. मानवाधिकारों के बारे में संवेदनसील रहें।
5. परिवार जन से मिलने दें।
6. पसन्द के वकील से नियमानुसार मिलने का अवसर दें।
7. जब तक न्यायालय दोषी न माने तब तक निर्दोष मानें।
8. अपराधी होने के साथ साथ वह एक मानव है अतः मानवीय दृष्टिकोण रखें।
9. गाली गलौच न करें सभ्यता से पेश आएं।

पुलिस हिराशत में मृत्यु के कारण –

1. मानसिक एवं शारीरिक यातना देने से व चोटें लगने से मृत्यु हो जाना।
2. पूछताछ में आधुनिक विधियों का प्रयोग न करने से कभी–कभी अधिक चोटें लगने से मृत्यु हो जाना।
3. अवैध हिरासत में रखने से परेशान होकर आत्महत्या कर लेना।
4. सबक सिखाने की प्रवृति होने के कारण, बदला लेने के कारण मारपीट करना जिससे मृत्यु हो जाना।
5. संस्वीकृति हासिल करने के लिए मारपीट करना।
6. अमानवीय व्यवहार से दुखी होकर भी आत्महत्या कर लेना।
7. मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा बरतने से।
8. बीमार होने पर समय पर ईलाज नहीं कराने पर या लापरवाही बरतने से।
9. हिरासत में रखने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा न रहने से विपक्षी द्वारा मार दिया जाता है।
10. समय पर खान–पान का ध्यान नहीं रखने से।
11. हवालात व शौचालय की स्वच्छता का ध्यान न रखना जिससे ब्लेड, रस्सी आदि उपलब्ध हो जाने से आत्महत्या कर लेना।

पुलिस हिरासत में मृत्यु के निराकरण के उपाय – पुलिस हिरासत में मृत्यु होने से रोकने के लिए निम्नलिखित बातों का/ उपायों को काम में लाना चाहिए –

1. प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने से पूर्व व लॉकअप में बंद करने से पूर्व तलाशी लें और जो कुछ उसके पास पाया जाए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अनुसार सूची तैयार करें और एक सूची गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को निःशुल्क दें। इस आशय की रपट रोजनामचा में अवश्य दर्ज करें।
2. जब भी लॉकअप में बंद व्यक्ति को निकाला जाए या बंद किया जाए उसकी तलाशी लेकर ही निकालें और किसी व्यक्ति के हवाले किया गया इसकी रिपोर्ट रोजनामचा में जरूर दर्ज करें।
3. जब भी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया जाये या निकाला जाये तब उसके साथ अनावश्यक मार पीट नहीं करनी चाहिए।
4. यदि कोई पुलिस ऑफिसर उससे मारपीट करता है तो उसको ऐसा करने से रोकें यदि वह फिर भी ऐसा करें तो उच्च अधिकारियों को सूचित करें।
5. लॉक–अप में कोई तार या रस्सी या ब्लेड या शीशा आदि न छोड़ें क्योंकि हिरासत में रखा व्यक्ति इनका उपयोग आत्महत्या करने में कर सकता है।
6. किसी व्यक्ति से कोई भी वस्तु या खाने–पीने की वस्तु न लेने दें सिवाय परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त ।
7. हिरासत में रखे व्यक्ति को न्यायालय में ले जाते समय या बरामदगी के लिए लाते या ले जाते समय गार्ड द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करें।

PTS Kherwara, Udaipur

8. यदि विरोधी व्यक्ति से खतरा हो तो सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गार्ड व वाहन की व्यवस्था करें ताकि संभावित घटना का रोका जा सके।
9. किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक यातना न दें, प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों का उचित सम्मान करें ।
10. अपने अधिकारों को दुरूपयोग न करें और ना ही इनका उपयोग किसी से बदला लेने या सबक सिखाने के लिए करें ।
11. सूचनाएं तपत्तीश करने के लिए अन्वेषण की वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करें एवं थर्ड डिग्री मैथड का इस्तेमाल करने से बचें।
12. अपने कर्तव्यों का पालन कम से कम बल का उपयोग करते हुए करें। यदि पुलिस हिरासत से कोई व्यक्ति फरार होने की कोशिश करें तब उसको गिरफ्तार के लिए भी कम से कम बल का प्रयोग करें ।
13. हिरासत के दौरान मानवाधिकारों का सरंक्षण किया जाए।
14. विभागीय व विधिक आदेशों की पालना की जाए।
15. प्रशिक्षण के दौरान मानवाधिकारों के प्रति संवेदनसील ता का प्रशिक्षण दिया जाए।
16. खाने–पीने की पर्याप्त व्यवस्था हो।
17. रात्रि में विशेष सतर्कता बरती जाए।
18. हवालात व शौचालय की प्रतिदिन साफ–सफाई हो। कोई ब्लेड, कांच का टुकड़ा, रस्सी न हो यह सुनिश्चित किया जाए।
19. मुलजिम की मनो–विज्ञानिक स्थिति का अवलोकन करें तथा उसके अवसाद में जाने पर चिकित्सकीय परामर्श दिलानी चाहिए।

(ग) पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध व्यक्तियों के प्रति बरती जाने वाली सावधानियों –

राजस्थान पुलिस नियम 1965 के अध्याय 7 के नियम संख्या 7.3 के अनुसार गिफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी लेना, नियम 7.4 बन्दीगृह 7.6 गिफ्तार व्यक्ति अस्वस्थ्यता नियम 7.16 महिलाओं की गिफ्तारी, नियम 7.25 रूग्ण और घायल व्यक्तियों को बन्दी बनाना, नियम 7.27 अपराधियों का भोजन, नियम–7.28 बन्दियों से साक्षत्कार के नियमों की पालना की जानी चाहिए
1. हवालात में कोई तार, या रस्सी ब्लेड, शीशा न छोडे। क्योकि पुलिस अभिरक्षा में रखा व्यक्ति इनका उपयोग मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने में कर सकता है।
2. परिवार के सदस्यों के अलावा किसी व्यक्ति से कोई भी वस्तु, या खाने–पीने की वस्तु न लेने दें। परिवार के सदस्यों के द्वारा दी जाने वाली खाने–पीने की वस्तुओं को चौक करने के उपरान्त ही देने दिया जावे।
3. प्रत्येक गिफ्तारशुदा व्यक्ति के साथ मानावधिकारों का उचित सम्मान करें।
4. विभागीय व कानूनी आदेशों की पालना की जावें।
5. गिफ्तारसुदा व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय चिकित्सक से समय पर नियमानुसार करवाया जावें।
6. हवालात के अन्दर के भाग में बिजली के तार, खिड़की व अन्य कोई आपत्तीजनक सामग्री नहीं होनी चाहिए। जिससे अभियुक्त उसका भागने में प्रयोग कर सके या आत्महत्या करने का प्रयाश कर सके। हवालात के अन्दर का भाग साफ–सुथरा होना चाहिए।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के खाने–पीने का समय पर ध्यान रखना चाहिए।
8. प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस हिराशत में रखने से पूर्व व हवालात में बन्द करने से पूर्व तलाशी ले और जो कुछ उसके पास पाया जाये उसकी दण्ड प्रक्रिया की धारा 51 के अनुसार सूची तैयार करें और

PTS Kherwara, Udaipur

सूची की एक प्रति गिरफ्तारसुदा व्यक्ति को निःशुल्क दें तथा इस आशय की रपट रोजनामचा में आश्य दर्ज करें।

9. रात्रि के समय रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे की मुलजिम हवालात में नजर आता रहे, लेकिन रोशन हेतु लगाये गये बल्व व बिजली के तार मुलजिम की पहुँच से दूर होने चाहिए।
10. हवालात के दरवाजे मजबूत सरिये के होने चाहिए व हवालात में लॉक बाहर की ओर एवं मुलजिम की पहुँच से दूर होने चाहिए ।
11. थाने पर तैनात सन्तरी मुलजिम की प्रत्येक मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए।
12. गिरफ्तर सुदा व्यक्ति से पुलिस अभिरक्षा में पुछताछ के दौरान मारपीट व अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए।
13. मुलजिम को कानूनी रूप से दिये गये अधिकारों के सम्बन्ध में उसे अवगत कराना चाहिए।
14. महिला के गिफ्तार के दौरान उसकी तलाशी महिला पुलिस अधिकारीध्महिला कानिस्टेबल के द्वारा सालीनता का ध्यान रखते हुए ली जावेगी और उसे महिला बन्दी गृह में ही रखा जावेगा।
15. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 49 के मुताबिक गिफ्तार किये गये व्यक्ति को उससे अधिक अवरूद्ध ना किया जायेगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
16. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के तहत गिफ्तरी किये गये व्यक्ति को गिफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जानी चाहिए।
17. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50क के अनुसार गिफ्तार करने वाले व्यक्ति का नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि की सूचना देना चाहिए।

(घ) व्यवहारिक प्रदर्शन :– (च्तंबजपबंस)
पुलिस स्टेशन पर सन्तरी ड्यूटी के कर्तव्यः–
1. सन्तरी हर वक्त चुस्त और चौकन्ना रहें।
2. सन्तरी का टर्न आउट बहुत अच्छा होना चाहिए।
3. सन्तरी हमेशा संवैधानिक भाषा का प्रयोग करें।
4. जब भी फरयादी थाने पर आये तो उससे सरल भाषा में बात करके पुलिस स्टेशन में प्रवेश करावें।
5. सन्तरी कैदियों और मालखाने की बराबर निगरानी रखें और चाबी स्वयं के पास रखें।
6. पुलिस स्टेशन पर आने वाले आगन्तुकों से आने का कारण पता करके अन्दर प्रवेश करने दें।
7. उच्च अधिकारीयों का पद के मुताबिक अभिवादन करें।
8. उच्च अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार दिये गये आदेशों का तुरन्त और तत्परता से पालना करें।
9. सन्तरी अपनी ड्यूटी के दौरान अपने परिसरण क्षेत्र में टहलता रहें।
10. सन्तरी के पास से कोई हथियार बन्द टोली निकले तो उसका सलामी शस्त्र करके अभीवादन करें।
11. यदि कोई शव यात्रा थाने के सामने से गुजरे तो उसका अभिवादन करें।
12. प्रत्येक आने जाने वाले पर पेनी नजर रखे।
13. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को बन्दीगृह से छोड़ जाय तो सन्तरी अपनी मौजूदगी रखें और लेखा–जोखा रखें।
14. बन्दीगृह में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सूची रखें।
15. किसी बन्दी को उसके परिजन यदि खाना खिलाये तो उसे चौक करके खिलाया जाये।
16. बन्दीगृह से गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को बाहर भेजा जाये, जैसे मजिस्ट्रेट के पास पेश हेतु निकाला जाये तो अपनी मौजूदगी में निकाला जाये।
17. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को शौच आदि अपनी निगरानी में कराये।

PTS Kherwara, Udaipur

18. गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को बन्दीगृह में डालते समय मोबाईल, बैल्ट आदि अन्य वस्तुएँचौक करके बन्दियों की पहुँच से दूर रखी जाये।
19. यदि कोई गश्ती दल या मोबाईल पार्टी बाहर गई हैं तो उसके आने व जाने का ध्याान रखा जाये।
20. सन्तरी बदली करते समय तमाम जरूरी सूचनाऐं अपने अगले सन्तरी को बतावे।
21. रात्रि में आने वाले के साथ क्या कार्यवाही करनी है यह मालूम हों।
22. सन्तरी को अपनी देखभाल का ईलाका मालूम हों।
23. सन्तरी रात्रि में चौलेन्ज पुकारे और पहचान होने पर ही अन्दर आने दें।
24. सन्तरी को मालूम होना चाहिए कि थाने पर कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं।
25. सन्तरी मालखाने व सम्पूर्ण थाने की मुस्तैदी से निगरानी रखें।
26. सन्तरी विशेष योग्य जन और जनता के प्रति सम्मान की भावना रखें, जिससे की जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना पैदा हों।
27. सन्तरी द्वारा आगन्तुको के प्रति समानता की भावना अपनाई जावे। सबके प्रति समान आदर भाव रखें।

सन्तरी ड्यूटी के दौरान नहीं करने वाली बातें:–

1. सन्तरी ड्यूटी के दौरान बैठेगा नहीं।
2. सन्तरी अपनी ड्यूटी के समय अपने हथियार को अपने से अलग नहीं रखेगा।
3. सन्तरी अपनी ड्यूटी के दौरान अनावश्यक वार्तालाप व कार्य नहीं करेगा।
4. सन्तरी अपनी ड्यूटी के दौरान गलत शब्दो का इस्तेमाल न करें।
5. सन्तरी जनता के प्रति भेदभाव नहीं करेगा।
6. सन्तरी ड्यूटी के दौरान धुम्रपान व किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा।
7. सन्तरी ड्यूटी के समय मोबाईल फोन का उपयोग न करेगा।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 12- Crime Regarding Public Servants (Day-7.7) (Session-46)

Paper-13-Practical Hands-on - (Session-10)

पेपर 13– व्यावहारिक (हैंड्स–ऑन) (10 सत्र)

नोटः– प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक कक्षा कक्ष में सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर निम्नांकित पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देवें।

- संज्ञेय और गैर–संज्ञेय अपराध के बीच अंतर
- मीडिया और भीड़ प्रबंधन
- प्राथमिकी का प्रारूप तैयार करना (ड्राफ्टिंग)
- विभिन्न पंचनामा
- साक्ष्य (सबूत) एकत्र करने में सहायता करना
- गवाह का बयान
- आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया
- रिमांड रिपोर्ट
- केस डायरी लिखना
- आरोप पत्र (चार्जशीट)

PTS Kherwara, Udaipur

- **Case Law- Adv.M. Baiju Noel.VS Addtional Chief Secretary and Others 2024 Live Law (Ker) 738**

1. मामले की पृष्ठभूमिः–

- **मामला–** केरल सरकार के मंत्री साजी चेरियन द्वारा मल्लपल्ली में दिए गए एक भाषण से संबंधित था। आरोप था कि उन्होंने भारतीय संविधान और उसके मूल्यों (जैसे धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र) के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं।
- **पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट–** स्थानीय पुलिस ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी थी और निष्कर्ष निकाला था कि मंत्री का कोई ऐसा इरादा नहीं था, इसलिए कोई अपराध नहीं बनता। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था।
- **याचिकाकर्ता–** अधिवक्ता एम. बैजू नोएल ने इस पुलिस रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

2. उच्च न्यायालय का प्रमुख फेसलाः– केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए निम्नलिखित निर्देश और कानूनी सिद्धांत तय किए–

- **पुनः जांच का आदेश–** हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा जमा की गई क्लोजर रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट द्वारा उसे स्वीकार करने के आदेश, दोनों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को इस मामले में निष्पक्ष और नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया।
- **जांच अधिकारी का निष्कर्ष गलत–** कोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने से पहले और उचित साक्ष्य जुटाए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा यह कह देना कि कोई अपराध नहीं बनता अनुचित और गलत था।

3. कानूनी सिद्धांत एवं टिप्पणी–

- **शब्दों या कृत्यों से संविधान का अनादर अपराध है–** हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 2 में 2003 के संशोधन के बाद, केवल शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि मौखिक या लिखित शब्दों/ कृत्यों द्वारा संविधान के प्रति अनादर प्रकट करना भी अपराध माना जाएगा।
- **आलोचना बनाम अनादर–** संविधान में संशोधन लाने के उद्देश्य से की गई वैध आलोचना/ असहमति अपराध की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा संविधान के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग धारा 2 के तहत कार्रवाई योग्य हो सकता है।

PTS Kherwara, Udaipur

➢ Case Law- Aditya Prasanna Bhattacharya VS UoI and Others WP (C) NP 462/2019

1. मामले की मुख्य पृष्ठभूमि–

- विवादित कानून– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5)
- प्रावधान क्या कहता है? धारा 62(5) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है (चाहे वह सजायाफ्ता कैदी हो या ट्रायल के अधीन अंडर–ट्रायल या पुलिस हिरासत में हो), वह किसी भी चुनाव में मतदान नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता की दलील–

- याचिकाकर्ता (अदित्य प्रसन्न भट्टाचार्य, जो उस समय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के छात्र थे) ने तर्क दिया कि धारा 62(5) अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करती है।
- यह नियम बिना किसी ठोस अंतर के दोषी कैदियों और विचाराधीन बंदियों (अंडर–ट्रायल्स) को एक ही श्रेणी में रखता है, जिससे जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक निर्दोष माना जाए के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।

2. सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने 4 मई 2023 को इस रिट याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुनाया।
- याचिका खारिज– सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) की संवैधानिक वैधता में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायालय का आधार–

- न्यायालय ने कहा कि धारा 62(5) की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व पीठों द्वारा पहले ही बरकरार (न्चीमसक) रखा जा चुका है।
- महेंद्र कुमार शास्त्री बनाम भारत संघ (1984)– 2–न्यायाधीशों की पीठ ने इसे वैध माना था।
- अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997)रू 3–न्यायाधीशों की पीठ ने भी इस प्रावधान को बरकरार रखा था।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि बड़ी और समकक्ष पीठों के फैसले पहले से मौजूद हैं, इसलिए इस जनहित याचिका के माध्यम से धारा 62(5) को रद्द नहीं किया जा सकता।

PTS Kherwara, Udaipur

➢ Case Law- D.K. Basu Guidlines with Crpc Sec 43 and 56

1. D-K- Basu case (1997) के प्रमुख दिशा–निर्देश

सुप्रीम कोर्ट (डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य) द्वारा जारी 11 प्रमुख निर्देशों में से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं–

- **स्पष्ट पहचान–** गिरफ्तारी या पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी की वर्दी पर नाम और पद की सटीक, दृश्यमान प्लेट होनी चाहिए।
- **गिरफ्तारी मेमो** गिरफ्तारी के समय ही एक मेमो तैयार किया जाएगा, जिस पर तारीख, समय और स्थान दर्ज होगा। इस पर कम से कम एक स्वतंत्र गवाह (परिवार का सदस्य या स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति) और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे।
- **सूचना देने का अधिकार** गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार, मित्र या शुभचिंतक को अपनी गिरफ्तारी और हिरासत के स्थान की जानकारी देने का अधिकार है।
- **मेडिकल जांच–** गिरफ्तारी के समय शरीर पर मौजूद चोटों का ब्योरा इंसपेक्शन मेमो में दर्ज किया जाएगा, जिस पर आरोपी और पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होंगे। हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में मान्यता प्राप्त डॉक्टर से मेडिकल जांच कराई जाएगी।
- **डायरी प्रविष्टि–** पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में गिरफ्तारी की पूरी प्रविष्टि होगी, जिसमें उस पुलिस अधिकारी का नाम भी दर्ज होगा जिसकी कस्टडी में आरोपी है।
- **वकील से मिलने का अधिकार–** पूछताछ के दौरान (पूरे समय नहीं, लेकिन बीच में) अपने वकील से मिलने की अनुमति होगी।
- **कंट्रोल रूम–** जिला और राज्य मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर सूचना भेजी जाएगी और इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

2. CrPC धारा 43 और धारा 56 का संबंध– CrPC 1973 में ये धाराएं गिरफ्तारी की शक्ति और उसके बाद की प्रक्रिया को परिभाषित करती हैं–

CrPC धारा 43 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 40)–– निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी–

- **प्रावधान–** कोई भी आम नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में गैर–जमानती और संज्ञेय अपराध करता है, या जो एक घोषित अपराधी है।
- **प्रक्रिया–** गिरफ्तार करने के बाद वह व्यक्ति आरोपी को बिना किसी देरी के निकटतम पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन के हवाले करेगा।

D-K- Basu से संबंध– यद्यपि D-K- Basu की गाइडलाइंस मुख्य रूप से पुलिस तंत्र के लिए हैं, लेकिन जब कोई आम नागरिक धारा 43 के तहत किसी को पकड़कर पुलिस को सौंपता है, तब से पुलिस पर D-K- Basu की सभी गाइडलाइंस (जैसे मेमो बनाना, मेडिकल कराना, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना) लागू हो जाती हैं।

CrPC धारा 56 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 57)– गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देरी के मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन प्रभारी के समक्ष ले जाना–

- **प्रावधान–** बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी, बिना किसी अनावश्यक देरी के और जमानत संबंधी प्रावधानों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के सामने पेश करेगा।

PTS Kherwara, Udaipur

D-K- Basu से संबंध– D-K- Basu गाइडलाइंस का सबसे बड़ा आधार यही है कि व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में न रखा जाए। CrPC धारा 56 और धारा 57 (24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का नियम) को कड़ाई से लागू करवाने के लिए ही D-K- Basu में अरेस्ट मेमो और सूचना देने के नियम बनाए गए, ताकि पुलिस कस्टडी के समय में हेरफेर न कर सके।

PTS Kherwara, Udaipur

➢ Case Law- A.srinivasulu VS State (Suprem Court) 2023

1. मामले की पृष्ठभूमि–

- **आरोप–** भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें पूर्व कार्यकारी निदेशक ए. श्रीनिवासुलु शामिल थे) पर एक निजी ठेकेदार के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी करने और बिना उचित कागजी कार्रवाई के अनुचित अग्रिम राशि देकर BHEL को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाने के आरोप लगे थे।
- **निचली अदालत व हाईकोर्ट–** विशेष सीबीआई अदालत और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ दोनों ने ही आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं (जैसे 420, 468, 471) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दोषी ठहराया था।
- **अपील–** आरोपियों ने हाईकोर्ट के सजा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

2. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कानूनी निष्कर्ष– सुप्रीम कोर्ट (न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ) ने मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए और सभी अपीलों को स्वीकार करते हुए आरोपियों को बरी कर दिया।

(A) CrPC की धारा 197 के तहत मंजूरी

- **अदालत का फैसला–** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मंजूरी की आवश्यकता समाप्त हो गई हो या पद से सेवानिवृत्त होने के कारण PC Act की धारा 19 की जरूरत न हो, लेकिन यदि अधिकारी पर IPC के तहत अपराधों (जैसे धोखाधड़ी, कूटरचना) का मुकदमा चलाना है, तो CrPC की धारा 197 के तहत सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
- **नियम–** यदि IPC अपराधों के लिए धारा 197 CrPC की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है, तो पूरा ट्रायल अमान्य और दूषित हो जाता है।

(B) वादा माफ गवाह/सह–अभियुक्त की क्षमादान प्रक्रिया

- **अदालत का फैसला–** सुप्रीम कोर्ट ने क्षमादान से जुड़ी प्रक्रिया की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306(4)(a) के तहत वादा माफ गवाह की जांच प्रक्रिया में छोटी–मोटी प्रक्रियात्मक चूक से पूरा मुकदमा तब तक अमान्य नहीं होता जब तक कि इससे आरोपी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

(C) केवल प्रशासनिक लापरवाही आपराधिक अपराध नहीं है– कोर्ट ने माना कि व्यावसायिक या प्रशासनिक निर्णयों में त्रुटि, दिशा–निर्देशों का उल्लंघन या प्रक्रियात्मक चूक होना अपने आप में तब तक धोखाधड़ी या आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जा सकता, जब तक कि स्पष्ट आपराधिक इरादा साबित न हो।

3. फैसले का निष्कर्ष और प्रभाव–

- **आरोपियों की रिहाई–** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी अधिकारियों के खिलाफ धारा 197 CrPC के तहत अनिवार्य मंजूरी हासिल करने में विफल रहा और कूटरचना या धोखाधड़ी का आपराधिक इरादा साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका।
- **कानूनी महत्व–** यह फैसला प्रशासनिक और लोक सेवा अधिकारियों के लिए धारा 197 CrPC के सुरक्षा कवच को मजबूत करता है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी IPC अपराधों के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

PTS Kherwara, Udaipur